संघर्ष संवाद

जून 2016 **नई दिल्ली**

साथियों,

मौजूदा दौर देश के मजदूरों, किसानों और समस्त मेहनतकश जनता के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर है। भारतीय राजसत्ता बहुत ही मुखर रूप से तमाम पूंजीवादी कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलकर मेहनतकश जनता का शोषण-उत्पीड़न कर रही है। देशी-विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आम जनता के जल-जंगल-जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को अत्यंत ही सस्ते और सुलभ तरीके से उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है।

सरकार कॉर्पोरेट पक्षधर नीतियों को बनाने व लागू करने में जिस तरह की तेजी दिखा रही है उससे उनके अच्छे दिन के नारे व लोगों की अपेक्षाएं पूरी न होना स्पष्ट दिख रहा है। यह सरकार खुदरा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देकर पूंजीपतियों के लिए इन क्षेत्रों के दरवाजे भी खोल रही है।

पूंजीपतियों को कोई सामाजिक जिम्मेदारी न उठानी पड़े उसके लिए श्रम कानूनों में सुधार, पर्यावरणीय कानूनों को खत्म करना और किसी भी कीमत पर भूमि देने के लिए कानून बनाना, इस सरकार का मुख्य एजेंडा हो गया है।

प्रधानमंत्री और उनकी सरकार सांप्रदायिक दंगों पर तो खामोश रहती है लेकिन जमीन की लूट को कानूनी जामा पहनाने में सबसे आगे रहती है।

प्राकृतिक संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट इस देश के लोकतंत्र के लिए व इन पर निर्भर समुदायों के लिए गंभीर खतरा है।

देश के तमाम मेहनतकश किसान मजदूर, कर्मचारी, छोटे दूकानदार, दस्तकारों, मछुवारे, रेहड़ी-पटरी वाले और इनके समर्थक प्रगतिशील तबकों के लिए यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण दौर है। अब शासकीय कुचक्रो के खिलाफ संघर्ष के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

इंकलाब जिंदाबाद.

उत्तर प्रदेश
- करछना के किसानों पर कहर जारी : 9 सितम्बर 2015 के दमन के बाद गांवों में मेधा पाटेकर का दौरा
- एनजीटी ने जेपी की 2500 एकड़ वनभूमि का अधिग्रहण रद्द किया

उत्तराखण्ड
- प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ नैनीसार में प्रतिरोध सभा
- तमाम दबावों के बावजूद ऋचा फैक्ट्री, काशीपुर के मजदूरों का संघर्ष जारी
- अवैध खनन से पीड़ित जाखपंत गांव के लोगों के संघर्ष की कहानी

हिमाचल प्रदेश
- कोलडैम सत्याग्रह :17 दिनों से जारी है विस्थापित मजदूरों की हड़ताल

छत्तीसगढ़
- फर्जी मुठभेड़, सरेंडर, गिरफ्तारियां बयां करती हैं बस्तर की असली तस्वीर : एआईपीएफ जाँच दल की रिपोर्ट
- दैनिक भास्कर के लिए लाठी एवं बंदूक के साये में जनसुनवाई

झारखण्ड
- पोटका के आदिवासियों का भूषण स्टील कंपनी के खिलाफ एक दशक से बहादुराना प्रतिरोध

दिल्ली
- रोम के गुलामों की तरह निचोड़ा जा रहा है सफाई कर्मचारियों का खून
- श्री श्री यमुना विवाद : एनजीटी के इतिहास में ऐसी दबंगई पहली बार
- मोदी का कार्पोरेट्स को तोहफा : राष्ट्रीय खनिज निति को मंजूरी

मध्य प्रदेश
- नर्मदा जल जमीन हक सत्याग्रह : 30 जुलाई 2016 से राजघाट, बडवानी, मध्य प्रदेश
- पेंच बांध : आदिवासियों के 30 गाँव पानी में डूबोने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 से कसा शिकंजा; गांवों में पुलिस बल तैनात

राजस्थान
- नवलगढ़ के किसानों का बांगड़-बिडला के सीमेंट प्लांटों के खिलाफ 2140 दिनों से धरना जारी; 28 अगस्त को तहसील भवन पर प्रदर्शन
- अवैध खनन और विस्थापन के विरोध में जनसुनवाई

मणिपुर
- मणिपुर भवन पर प्रदर्शन : आंदोलनकारियों पर बर्बर पुलिसिया दमन

अरुणाचल प्रदेश
- हाइड्रो पावर परियोजना का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर बर्बर पुलिसिया दमन : 2 मृत, 19 बुरी तरह से घायल

हरियाणा
- हरियाणा में सरकार की हिटलरशाही : बिजलीकर्मियों पर एस्मा

ओडिशा
- कितनी भी यातनाएं दे ले पुलिस हम अपना नियामगिरी पर्वत नहीं छोड़ेगे : डोंगरिया कोंध

उत्तर प्रदेश

करछना के किसानों पर कहर जारी : 9 सितम्बर 2015 के दमन के बाद गांवों में मेधा पाटेकर का दौरा

पिछले वर्ष 2015 की 9 सितम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार ने करछना में किसानों की जमीन हड़पने के लिए क्रूर पुलिसिया दमन किया। गांव के लोगों को मारा पीटा, जानलेवा हमला किया, बन्द घरों के अन्दर आंसू गैस के गोले छोड़े, रबड़ की गोलियों से हमला किया महिलाओं के साथ अभद्रता की और हाथ आये 42 लोगों को बिना किसी कसूर के जेल भेज दिया जिसमें 72 साल की बूढ़ी औरत से लेकर 16 साल के बच्चे तक थे। इस घटना के लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक इन किसानों को न्याय नहीं मिला है। आंदोलन के मुख्य नेता राज बहादुर पटेल अपना घर-बार छोड़कर भूमिगत हैं तथा तीन किसान अभी भी जेल में बंद हैं। किसानों पर हुए इस दमन के विरोध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान भी लिया परंतु 8 माह बीत गए प्रशासन की रिपोर्ट के इंतजार में । 24 मई 2016 को जनांदोलोनों के राष्ट्रीय समन्वय की सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर ने पीड़ित किसानों और उनके परिवारों से मुलाकात करके उनके आंदोलन के लिए समर्थन जताया है। पेश है करछना के किसानों के आंदोलन पर सीमा आज़ाद की महत्वपूर्ण रिपोर्ट;

करछना के किसान पावर प्लांट के लिए अपनी जमीन नहीं देना चाहते, लेकिन सरकारी व्यवस्था का हर अंग जमीन पर कुंडली मारे बैठा है। किसान जब भी इससे लड़ने के लिए अपना आन्दोलन तेज करते हैं यह अपना दमनात्मक रूप उजागर करके यह जाहिर कर देता है कि वह जमीन कब्जाने वालों के साथ किस कदर है और किसानों को अपनी जमीन आसानी से वापस नहीं मिलने वाली है। बेशक, यह असंभव भी नहीं है।

पिछले वर्ष 2015 की 9 सितम्बर को करछना के तीन गांवों कचरी कचरा और देहली भगेसर, जो कि सड़क से लगे हुए हैं और करछना पावर प्लांट परियोजना में मुख्यतः आने वाले गांव हैं, में क्रूर पुलिसिया दमन किया। गांव के लोगों को मारा पीटा, जानलेवा हमला किया, बन्द घरों के अन्दर आंसू गैस के गोले छोड़े, रबड़ की गोलियों से हमला किया महिलाओं के साथ अभद्रता की और हाथ आये 42 लोगों को बिना किसी कसूर के जेल भेज दिया जिसमें 72 साल की बूढ़ी औरत से लेकर 16 साल के बच्चे तक थे।

इस दमन की जांच के लिए दिल्ली और इलाहाबाद की एक जांच टीम ने इन गांवों का दौरा करके तथ्य इकट्ठा किया था, जिसके आधार पर राष्टीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत भी दर्ज करायी जा चुकी है। आयोग ने इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सचिव से जवाब भी मांगा था, परन्तु छ महीने बाद भी आज तक सचिव ने इस सम्बन्ध में जवाब नहीं भेजा है। 9 सितम्बर को इन गांवों में हुये इस दमन के बाद 26 सितम्बर को मेधा पाटकर को मेजा के गांवों में सभा करने से रोक दिया गया था, जहां एक दूसरा पावर प्लांट बन रहा है और वहां का आन्दोलन भी उस वक्त उफान पर था। हाल ही में 24 मई 2016 को मेधा पाटकर सहित इलाहाबाद की एक टीम ने कचरा कचरी और देहली भगेसर गांवों का दौरा किया, जिसमें पीयूसीएल के ओ डी सिंह, आजादी बचाओ आन्दोलन के मनोज त्यागी, आईपीएफ के राजेश सचान और दस्तक पत्रिका की सम्पादक सीमा आजाद थी। तीन गांवों में लोगों से बात कर स्थिति की जानकारी ली और मेधा पाटकर ने गांव के लोगों को साथ देने का आश्वासन भी दिया।

पिछले दौरे के बाद से जेल गये 42 लोगों में से 39 लोग बाहर आ चुके थे, सीधा दमन तो नहीं है, लेकिन गांवों में धीमें स्तर पर चलने वाला अनवरत दमन अपनी जड़े जमाने लगा है। यह कभी-कभी होने वाले उग्र दमन से किसी भी मायने में कम नहीं है।

जेल गये 42 लोगों पहले तो जमानत लेने से इन्कार कर दिया था, उन्होंने मुकदमा खत्म कराने का 'क्वैश केस' हाईकोर्ट में डाला। लेकिन मुकदमा तो वापस नहीं ही हुआ उन पर धीरे-धीरे कर दूसरे कई केस डाल दिये

गये जिसमें गैंगेस्टर एक्ट भी है। इस कारण इनकी जमानत होने में भी समय लगा और उसके बाद दर्जन-दर्जन भर जमानत दार ढूढ़ने में । 72 साल की प्रभावती देवी दो महीने बाद बाहर निकलीं। राजबहादुर की पत्नी रीता और 19 साल की बेटी ज्योति तीन महीने बाद। तीन लोग रामदेव, जगत बहादुर और भीमसेन अभी भी नहीं बाहर निकले हैं क्योंकि उनकी गैंगस्टर की जमानत नहीं हो सकी है।

जेल में बन्द लोगों की मुकदमें और जमानत में पैरवी करने वालों पर भी शासन का कहर टूट रहा है। उन्हें भी कोर्ट-कचहरी में धमकाया जा रहा है। इनकी पैरवी में जी -जान से लगे सन्तोष और राजेन्द्र को 28 फरवरी 2016 को वकील के घर के सामने से गिरफ्तार कर लिया और 9 साल पुराने एक मामले में जो कि आन्दोलन से ही सम्बन्धित था, में चालान कर दिया। सन्तोष बताते हैं कि उन पर ये मामला हैं उन्हें पता था। लेकिन उन्हें पहले कभी न तो इसमें गिरफ्तार किया गया, न ही कभी कोई नोटिस दी गयी, और अब जाकर गिरफ्तार कर उस केस को भी खोल दिया। उन्हें भी अपनी जमानत करानी पड़ी। जेल में बन्द लोगों की पैरवी करने के अलावा सन्तोष ने मुआवजा वापस कर जमीन लेने के सम्बन्ध में एक रिट 26 फरवरी को दाखिल की थी और 28 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजेन्द्र पर पहले का कोई मुकदमा नहीं था। उन्हें गिरफ्तार कर मई 2015 के एक एक्सीडेंट के बाद हुए बवाल में चालान कर दिया।

मई 2015 में हुआ एक्सीडेंट, और उसके बाद स्थानीय लोगों के उग्र विरोध को भी पुलिस व्यवस्था ने शुरू से ही अपने पक्ष में इस्तेमाल किया है। यह घटना गांव से 3-4 किमी दूर मुख्य सड़क पर हुई थी जिसमें बस की टक्कर से दो व्यक्तियों की जान गयी थी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया था और तोड़-फोड़ भी की। पुलिस ने केस दर्ज करते समय जान-बूझ कर करछना पावर प्लांट का विरोध करने वालों का नाम दर्ज किया। नामजद के अलावा 'अन्य' की कटेगरी छोड़ दी गयी जिसमें आज तक लोगों का नाम डाला जाता रहता है। राजेन्द्र इसका नया शिकार हैं। दोनों की जमानत 9 मई को जाकर हो सकी। इस बीच लक्ष्मी नारायण यादव को भी पकड़ लिया। कोर्ट में सम्बन्धियों से मिलने जाने वाले सम्बन्धियों की तलाशी शुरू कर दी गयी, जो कि पहले नहीं होती थी। यानि पकड़े गये लोगों को अलग-थलग करने और बाकियों को डराने की हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। राजबहादुर जो कि आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे और जो 9 सितम्बर के बाद भूमिगत हो गये थे, को पकड़वाने का ईनाम बढ़ाने की घोषणायें अखबारों के माध्यम से की जा रही हैं। पहले यह पुरस्कार 5000 का था। इस राशि को बढ़ाने की मुनादी हमारे इस दौरे के एक दिन पूर्व यानि 23 मई को अखबारों के माध्यम से की जा चुकी थी। गांव वालों पर उन्हें पकड़वाने का दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। लालच देकर भी और डरा धमका कर भी। लालच देने का काम जमीन पर से दावा छोड़ने के लिए भी किया जा रहा है। जिन लोगों ने मुआवजा नहीं लिया था, उन्हें गढ़वा में जमीन देने की बात की जा रही है। गौरतलब है कि राजबहादुर के परिवार में किसी ने भी मुआवजा नहीं लिया है। एक व्यक्ति गढ़वा में जमीन लेने को राजी भी हो गया है। या यह अफवाह भी हो सकती है। हम जिनसे मिले उनमें से किसी ने भी गढ़वा में जमीन लेने या भविष्य में भी लेने की बात नहीं कही। उनका कहना है कि हम अपनी ही जमीन पर रहेंगे। हम कुछ लोगों को जमीन मिल भी जायेगी तो क्या, हमारा गांव तो उजड़ जायेगा।

9 सितम्बर के बाद से ही कचरा गांव के मुहाने पर स्थित धरना स्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था, और अब यहां गांव में आने जाने वालों से जवाब-सवाल, पूछ-ताछ और तलाशी भी शुरू हो गयी है। पास ही में पक्का पुलिस थाना बनाया जा रहा है। यानि क्योंकि इतने सारे लोगों को लम्बे समय तक जेल में नहीं डाल सकते इसलिए पूरे क्षेत्र को जेल बनाने की तैयारी है।

इस बीच 25 फरवरी से पावर प्लांट के लिए कब्जाई गयी जमीन पर चहारदीवारी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जाहिर है तलाशी और पूछताछ का काम इसी कारण से शुरू हुआ है। इस चहारदीवारी के अन्दर भी कई घर आ रहे हैं। चाहरदीवारी पर निगरानी रखने के बहाने से भी लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही

है।

पुलिस प्रशासन ही नहीं कानून व्यवस्था भी गांवों को उजाड़कर पावर प्लांट बनने के पक्ष में ही खड़ी दिखती है। और यह कानूनी लड़ाई और इसकी भाषा इतनी पेचीदा है कि इसे आसानी से समझना सामान्य लोगों के लिए असंभव जैसा ही है। इस बीच 16 अप्रैल 2016 को 57 लोगों द्वारा जमीन वापस लेने को लेकर डाली गयी एक रिट पर न्यायधीश विक्रम नाथ ने जो फैसला सुनाया, जमीन छीनने वाले और जमीन वापस मांगने वाले दोनों ही अपने पक्ष का मान रहे हैं। जमीन वापस मांगने वाले 57 किसानों की रिट को खारिज करते हुए रिट में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में 13 अप्रैल 2012 को हाईकोर्ट को आया फैसला 'शासन की शर्तों के साथ' इन 57 किसानों ही नहीं बल्कि इन गावों के सभी किसानों पर लागू होता है। इसे अब और सुने जाने की कोई जरूरत नहीं है।

जानना होगा कि 13 अप्रैल 2012 का फैसला क्या था और इसकी शर्तें क्या थीं। इस फैसले में कहा गया था कि जो किसान मुआवजा वापस कर अपनी जमीने वापस लेना चाहते हैं, उन्हें शासन जमीने वापस करे। इसके बाद शासन ने जमीन मालिकों के नामों के साथ नोटिस जारी कर कहा कि जो किसान 30 दिन के भीतर मुआवजे की राशि वापस कर देंगे वे अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। सरकार का कहना है कि 30 दिन के भीतर एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। गांव वालों का कहना है कि 20 लोग मुआवजे की राशि के साथ वापस गये थे पर उन्हें वापस कर दिया गया कि उन्हें पता ही नहीं है कि यह राशि कहां वापस होनी है। उसके बाद भी लोग गये लेकिन उन्हें भी यही जवाब मिला। अब 16 अप्रैल 2016 का रिट खारिज करते हुए जो नया फैसला आया है वह कहता तो है कि 2012 का फैसला सभी किसानों पर लागू होगा लेकिन 'शर्तों के साथ' जुड़ा होने के कारण इसके दो विश्लेषण हो रहे हैं एक यह कि शर्तों में चूंकि यह जुड़ा है कि शासनादेश जारी होने के 30 दिन के भीतर मुआवजा वापस करने वाले को ही जमीन मिलेगी। इसलिए यह फैसला गांव वालों के खिलाफ है क्योंकि 30 दिन की अवधि कब की निकल चुकी है। पावर प्लांट के समर्थक भी सबको यही समझा रहे हैं। लेकिन 24 मई को गांवों के दौरे पर गयी मेधा पाटकर ने गांव वालों से इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए उनकी जीत बताया है। साथ ही उन्होंने सामूहिक रूप से लोगों को कचहरी पर जाकर मुआवजे की राशि वापस करने की अपील की है। गांव वाले पशोपेश में है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब उन्हें नया डर यह भी है कि उनकी इस कार्यवाही से कहीं नये तरीके का सरकारी दमन न शुरू हो जाय। इस समय उन्हें नेतृत्व देने वाला कोई स्थानीय व्यक्ति भी नहीं है। कोर्ट में एक दो रिट अभी और भी लम्बित हैं। यानि आन्दोलन का झुकाव कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ता जा रहा है और कानून का झुकाव शासन की ओर। लेकिन 'जमीन लेकर रहेंगे' का नारा अभी भी चटख है।

बहुतों को इससे मतलब नहीं है कि कोर्ट में कौन सी लड़ाई चल रही है या क्या चल रहा है, उनका मुद्दा है कि जमीन मिल रही है या नहीं। जेल गये लोगों ने दमन का सबसे डराया जाने वाला रूप भी देख लिया है, वे टूटने की बजाय पहले से ज्यादा मजबूत दिखते हैं। खास तौर पर महिलायें। हालांकि सरिता, जो अपने मायके आयी थी और पुलिस ने बम फेंकने के आरोप में उसे जेल भेज दिया था, के ससुराल वालों ने अपनाने से इन्कार कर दिया है। ज्योति को देख लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि अब जेल गयी लड़की से कौन शादी करेगा। ज्योति का जवाब है कि 'मुझे नहीं करनी शादी, लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे फिर लडेंगे।' राजबहादुर की पत्नी रीता देवी भी पति के भूमिगत होने से परेशान हैं, लेकिन जमीन बचाने की लड़ाई से पीछे हटने की बात नहीं करतीं। 72 साल की प्रभावती और 65 साल के राधेश्याम जेल से बाहर आने के बाद भी इनके हौसले 16 से 35 साल के बराबर वालों के ही है। गांव में नौजवानों का नया नेतृत्व उभर रहा है। इनका भविष्य दांव पर है। अब सबकी आंखें इन पर है। आन्दोलन अभी भी जीता जा सकता है, इन पर टिकी निगाहें और उनका हौसला यही बयां करता है।

जल-हल-पदयात्रा : समझ, संकल्प और इच्छाशक्ती का अकाल

- योगेन्द्र यादव

जल-हल-पद यात्रा के समापन पर योगेन्द्र यादव ने कहा– बुंदेलखंड में पशुओं के लिए चारा, पानी का संकट सरकार उदासीन

तमाम गुंजाईशों के बावजूद बुंदेलखंड में राशन व्यवस्था ठप, भ्रष्टाचार के चंगुल में जकड़ी .

21 मई को मराठवाड़ा के लातूर से चली जल-हल पदयात्रा का समापन 31 मई को बुंदेलखंड के महोबा में।

बुंदेलखंड में चल रहा सूखा जानवरों के लिए अकाल में बदल चुका है, हर रोज़ हजारों जानवर भूख और प्यास से दम तोड़ रहे है ! चारे की भारी किल्लत से जंगली जानवर भी पानी और भोजन के आभाव में दम तोड़ रहे हैं ! सरकार की चारा वितरण की योजना कागजों तक सीमित है. इस त्रासदी को और विकराल रूप धारण करने से रोकने के लिए सरकार और समाज दोनों को आपात कदम युद्ध स्तर पर उठाने होगे. यह निष्कर्ष जल-हल-पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे योगेन्द्र यादव ने महोबा में इस यात्रा के समापन समारोह में व्यक्त किया! इस अवसर पर जाने माने किसान नेता और एन ए पी एम (जनांदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय) के राषट्रीय समन्वयक डॉ सुनीलम और एकता परिषद् के पी. वी.राजगोपाल भी उपस्थित थे !

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए डॉ सुनीलम ने कहा कि किसान के कर्ज माफ़ी और बिजली का बिल माफ़ी की मांग की. गांधीवादी कार्यकर्ता श्री पी. वी. राजगोपाल ने कहा कि सिर्फ सरकार तक निर्भर रहने के बजाय लोक शक्ती के निर्माण पर बल दिया. इस जन सभा में पहुच कर जिलाधिकारी श्री सुरेश कुमार ने सरकार का पक्ष रखा. सूखा राहत के सरकारी प्रयासों को गिनाते हुए उन्होंने माना की खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की गुन्जाइश है और बड़ी जोत के किसानों को मुआवजा राशि देने के लिए राज्य सरकार से फण्ड नहीं मिले है !

मप्र व उत्तर प्रदेश में हुई इस पद- यात्रा से सूखे की भयावह स्थिति उजागर हुई ! अधिकांश गांवों में पानी की भारी किल्लत है ! टीकमगढ़ और छत्तरपुर में यह कमी अब संकट का रूप धारण कर चुकी है ! दोनों राज्यों में फसलें बर्बाद होने के कारण खद्यान की कमी है. म.प्र. में खाद्य सुरक्षा कानून पहले लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग राशन के अंनाज से वंचित है ! उत्तर प्रदेश में पूरी खाद्यान्न वितरण व्यवस्था चौपट है ताकतवर और भ्रष्ट अफसरों और नेताओ की मिलीभगत के चलते ज्यादातर कोटा गरीबो तक पहुचने से पहले ही बेच दिया जाता है ! यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की राशन व्यवस्था में हर प्रकार की खामी - उजागर हुई !

कई लोगो के पास किसी भी तरह का राशन कार्ड नहीं है, अगर है तो परिवार के सभी लोगों का नाम नहीं है ! राशन कई महीनों तक मिलता नहीं है जब मिलता है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है . यात्रा के दौरान कई गांवों में खाद्य सुरक्षा पर्ची बनाने के नाम पर लोगो से 50 रुपया वसूल करने का भांडा फोड़ हुआ और वही रिश्वत का पैसा लोगों को वापस दिलाया गया ! हालांकि मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार देने में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश से कही बेहतर है, फिर भी कई लोगो की पेमेंट में देरी की शिकायत सुनी गई. महोबा जिले में सरकारी अधिकारियों ने पद - यात्रा के साथ जा कर लोगो की शिकायतें सुनी और उनका निवारण करने का आश्वासन दिया ! याद रहे की जल-हल-यात्रा का आयोजन सुप्रीम कोर्ट के एतिहासिक निर्णय के सन्दर्भ में हुआ था !

सूखे की भयावह स्थिति और सरकार की उदासीनता को देखते हुए स्वराज अभियान ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सूखा को आपदा घोषित करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया और केंद्र एवं राज्य की सरकारों को सूखा राहत के लिए काम करने

का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सबको राशन मिले, मनरेगा के तहत रोजगार मिले, बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में भी मिड-डे मील मिले और सप्ताह में कम से कम तीन दिन दूध या अंडा मिले। सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला जमीन पर उतरे और प्रभावी ढंग से लागू हो, यही सुनिश्चित करने के लिए स्वराज अभियान ने जनांदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, जल बिरादरी और एकता परिषद के साथ मिलकर योगेन्द्र यादव के नेतृत्व में जल हल पदयात्रा शुरू की।

21 मई को मराठवाड़ा में लातूर जिले के सोनवती गाँव से जल-हल पदयात्रा की शुरुआत हुई जिसमें जलपुरुष के रूप में प्रसिद्ध जल बिरादरी के राजेंद्र सिंह शामिल हुए। पदयात्रा महाराष्ट्र के तीन जिलों लातूर, उस्मानाबाद और बीड के गाँवों में 5 दिनों तक चली। 26 मई को भोपाल में एक राज्य स्तरीय जल-हल सम्मेलन हुआ जिसमें मेधा पाटकर ने भाग लिया। जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. सुनीलम भी लगातार पदयात्रा के साथ चल रहे थे।

27 मई से पदयात्रा अपने दूसरे चरण में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पहुँची। बुंदेलखंड के गाँवों में 5 दिनों की पदयात्रा के बाद 31 मई को जल हल पदयात्रा का समापन एक जनसभा के रूप में बुंदेलखण्ड के महोबा में हुआ। इस जनसभा में जल हल पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक और स्वराज अभियान के संस्थापक सदस्य योगेन्द्र यादव ने 10 दिनों की पदयात्रा का रिपोर्ट पेश किया। इस जनसभा को एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक पी. वी. राजगोपाल ने भी संबोधित किया।

सूखे के गंभीर संकट से जूझ रहे देशवासियों को राहत दिलाने के लिए योगेंद्र यादव के नेतृत्व में स्वराज अभियान की टीम लगातार काम कर रही है। इस यात्रा के दौरान भी स्वराज अभियान के वॉलंटियर्स ने समस्या का समाधान निकालने और राहत पहुंचाने की भरपूर कोशिश की।

जनसंघर्ष समन्वय समिति का उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन सम्पन्न, राज्य कमेटी का चुनाव

जनसंघर्ष समन्वय समिति का उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन 27-28 जून 2016 को सैदपुर में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से संघर्षशील साथियों ने इस सम्मलेन में भाग लिया। परिचय के बाद सम्मेलन में चर्चा के लिए कुछ बिंदु तय किये गए जो निम्न हैं -

- राज्य में हो रही भूमि अधिग्रहण की स्थिति
- अपने अपने आंदोलन की रिपोर्टिंग
- रिपोर्टिंग का विश्लेषण और आगे का कार्यक्रम
- भूमि अधिग्रहण के पीछे की राजनीति
- जनसंघर्ष समन्वय समिति की राज्य कमेटी का चुनाव
- अन्य मुद्दे

इसके बाद सम्मेलन में तय बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई । राष्ट्रीय स्तर पर व देश के विभिन्न क्षेत्रों में, राज्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति, परिस्थितियों क्रियाओं, प्रक्रियाओं, सरकारों की भूमिका, उनकी नीति-नियत व उनके द्वारा बनाए जा रहे नियमों, अधिनियमों, कानूनों का गहन मंथन किया गया। जातिवादी, सम्प्रदायवादी, क्षेत्रवादी, भाषावादी एवं अन्य प्रतिक्रियावादी ताकतों की भूमिका पर भी गंभीर विचार-विमर्श हुआ।

साथियों की राय थी कि देश की केन्द्रीय सरकारें, चाहे जिस दल की रही हों या जिस भी गठबंधन की, दिन-ब-दिन जन विरोधी भूमिका में आगे बढ़ती जा रही हैं। यही हाल सत्तारूढ़ राज्य सरकारों का भी है। आज आम आदमी को अपना अस्तित्व बचा पाना एक गंभीर चुनौती बन गया है, इतना कठिन दौर इतिहास के पन्नों में भी तलाश करने में नहीं मिल रहा, जितना वर्तमान में है। समस्याओं को चिन्हित करना और उनका समाधान खोजना सरल नहीं है। राजनैतिक दलों की आमजन से कोई संवेदना नहीं है, सत्तारूढ़ होने पर जनविरोधी नीतियों का निर्धारण करते हैं और उनको लागू करवाने में बाधक जन आंदोलनों को दमन उत्पीड़न करने में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन करते हैं। मेहनतकश किसान मजदूर, आदिवासी ही नहीं महिलाएं मासूम नाबालिग बच्चे भी सत्ता के असंवैधानिक जुल्म अत्याचारों का शिकार बन रहे हैं। हक की आवाज को दबाने के लिए शासन-प्रशासन नियमों, कानूनों का इस्तेमाल करते हुए लाठी चार्ज, गोली चार्ज, झूठे और बेबुनियाद मुकदमों में नेताओं को फंसाकर उनको हतोत्साहित करने की कोशिश से चूकते नहीं हैं।

सत्ता से महरूम (वंचित) राजनैतिक दल भी जनहित के मुद्दों को उठाने की जहमत गवारा नहीं करते। जनता के स्वतःस्फूर्त आंदोलनों को कमजोर करने की साजिश में राजनैतिक दलों में एकजुटता दिखाई देती है, जनहित में चल रहे आंदोलनों को कमजोर बनाने के लिए तरह-तरह की साजिश करते हैं। कहीं जाति के नाम पर कहीं धर्म के नाम पर, कहीं भाषा, क्षेत्र के नाम पर विभाजन की भूमिका में राजनैतिक दल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। असल मुद्दे से भटकाने का काम भी हो रहा है। सम्मेलन में यह तय हुआ कि भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध देशव्यापी आंदोलन चलाया जाय। आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की समझौता वार्ता नहीं की जायेगी। इस मुद्दे में एक दम स्पष्ट बात यह है कि किसी भी दशा में भूमि का छोटा से छोटा टुकड़ा भी किसी कीमत पर अधिग्रहित नहीं होने दिया जायेगा। एक इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं होने दिया जायेगा। भूमि प्रकृति का उपहार है इसका सौदा नामंजूर हैं।

इसके बाद सर्व सम्मत से जनसंघर्ष समन्वय समिति उत्तर प्रदेश की राज्य कमेटी का गठन किया गया। 9 सदस्य कमेटी के नामों की घोषणा की गई जिसका सभी साथियों ने हाथ उठा कर समर्थन किया। राज्य कमेटी के सदस्यों के नाम और पद इस प्रकार है-

1. अध्यक्ष : राजेंद्र मिश्रा, विन्ध्य इनवायरनमेंटल सोसायटी
2. उपाध्यक्ष : मोना सूर,मजदूर पंचायत
3. सचिव : राघवेन्द्र कुमार,कृषि भूमि बचाओ मोर्चा
4. कोषाध्यक्ष : अरुण कुमार सिंह,जन संघर्ष समिति

राज्य कार्यकारणी सदस्य

5. श्याम विहारी सिंह,किसान विकास मंच
6. प्रेम नाथ गुप्ता,गांव बचाओ आंदोलन
7. धर्म देव उपाध्याय,भारतीय किसान यूनियन
8. अरविंद मूर्ति,इंकलाबी कामगार यूनियन
9. मीनू सूर,मजदूर पंचायत

इसके बाद सम्मेलन की समाप्ति को घोषणा की गई ।

एनजीटी ने जेपी समूह को दी गई 2500 एकड़ वनभूमि का अधिग्रहण रद्द किया

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में वन भूमि हस्तांतरण मामले में प्रदेश की अखिलेश सरकार के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भी जेपी समूह को झटका दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती बसपा सरकार द्वारा सोनभद्र में जेपी समूह की सहयोगी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पक्ष में 1083.231 हेक्टेयर (करीब 2500 एकड़) वनभूमि हस्तांतरित करने के लिए जारी अधिसूचना को एनजीटी ने 5 मई 2016 को खारिज कर दिया। साथ ही उसने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द अधिसूचना जारी कर जेएएल के पक्ष में हस्तांतरित वन भूमि उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दे और गैर-कानूनी ढंग से इस वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई-सर्कुलेशन के जरिये जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड से गलत ढंग से हस्तांतरित करीब 2500 एकड़ वनभूमि वापस लेकर वनविभाग को सौंपने की अधिसूचना जारी करने का दावा किया था।

गौरतलब है कि करीब आठ साल पहले जेपी समूह की सहयोगी कंपनी जेएएल ने उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम को करीब 459 करोड़ रुपये में खरीदा था। उसी की आड़ में उसने वनभूमि पर आवंटित खनन पट्टों को स्थानीय अधिकारियों से मिलकर अपने नाम करा लिया। जांच रिपोर्टों के मुताबिक ओबरा वन प्रभाग के तत्कालीन वन बंदोबस्त अधिकारी वीके श्रीवास्तव ने जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की ओर से भारतीय वन अधिनियम की धारा- 9और 11 के तहत दाखिल सात मामलों में भारतीय वन अधिनियम की धारा- 4 के तहत अधिसूचित 1083.231 हेक्टेयर वनभूमि कंपनी के पक्ष में निकाल दी। इसमें 253.176 हेक्टेयर भूमि में कैमूर वन्यजीव विहार की शामिल था। वीके श्रीवास्तव ने 1987 में भारतीय वन अधिनियम की धारा- 20 के तहत अधिसूचित 399.51 हेक्टेयर संरक्षित वन क्षेत्र में से इस 230.844 हेक्टेयर वन भूमि को भी जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के पक्ष में गैरकानूनी ढंग से निकाल दिया जिसकी पुष्टि उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने भी नहीं की थी।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जांच रिपोर्ट के अंशों पर गौर करें तो वीके श्रीवास्तव उपरोक्त मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। वे केवल उन 12 गांवों के मामले की सुनवाई कर सकते थे, जिसके लिए राज्य सरकार ने 21 जुलाई, 1995 को जारी आदेश में सहायक अभिलेख अधिकारी शिव बक्श लाल को विशेष वन बंदोबस्त अधिकारी, सोनभद्र नियुक्त किया था। हालांकि इसके लिए भी शासन की ओर से उनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी। वीके श्रीवास्तव के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील करने की राय मांगी लेकिन तत्कालीन बसपा सरकार ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। प्रदेश सरकार के तत्कालीन सचिव पवन कुमार ने 12 सितंबर, 2008 को वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक को पत्र संख्या- 2008-2-3792/14के माध्यम से राज्य सरकार के निर्णय से अवगत भी कराया और सोनभद्र में भारतीय वन अधिनियम की धारा- 20के तहत विज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु दो दिनों के अंदर आवश्यक प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव (वन) ने

25 नवंबर, 2008 को अधिसूचना जारी कर सोनभद्र में भारतीय वन अधिनियम की धारा- 20के तहत शासकीय दस्तावेजों में वन क्षेत्र को कम कर दिया। इसमें जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के पक्ष में निकाली गई वन भूमि भी शामिल थी।

इतना ही नहीं अपनी कारगुजारियों को कानूनी जामा पहनाने के लिए उत्तर प्रदेश की तत्कालीन बसपा सरकार ने उच्चतम न्यायालय में लंबित जनहित याचिका (सिविल)- 202/1995में अपील दाखिल कर जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के पक्ष में विवादित खनन लीज का नवीनीकरण करने के लिए अनुमति मांगी। साथ ही उसने उप्र सरकार द्वारा 25 नवंबर, 2008 को भारतीय वन अधिनियम की धारा- 20के तहत जारी अधिसूचना की पुष्टि करने का अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने मामले में उच्च प्राधिकार समिति (सीईसी) से रिपोर्ट तलब की। जवाब में सीईसी के तत्कालीन सदस्य सचिव एमके जीवराजका ने 10 अगस्त, 2009 को उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में यह मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को स्थानांतरित हो गया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और सीईसी ने भूमि हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया को गलत बताया था। दोनों ने अदालत में कहा कि ये जमीन जंगल की है। इसको किसी और काम के लिए नहीं दिया जा सकता। वर्ष 2012 में राज्य सरकार बदल गई। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बसपा सरकार के फैसले का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता शमशाद और अभिषेक चौधरी ने एनजीटी में यूपी सरकार का पक्ष रखा और कहा, 'ये जंगल की जमीन है और किसी और काम के लिए नहीं दी जा सकती। जमीन की लीज जेपी को दिए जाने का पूर्व सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है।'

इस मामले की जांच करने वाले केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) , लखनऊ के तत्कालीन वन संरक्षक वाईके सिंह चौहान, अब अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार, से बात की गई तो उन्होंने कहा, 'आज यह खबर सुनकर बड़ी राहत मिली है। पूरी सर्विस के दौरान मैंने यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। उद्योगपतियों ने साजिश रचकर वनभूमि को हड़प लिया है जो गरीबों और आदिवासियों के काम आता। इस मामले में स्थानीय जनता का भरपूर सहयोग मिला। जांच के दौरान उन्होंने एक-एक गाटे की सूचना और कागजात मुहैया कराये। इस मामले में राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों ने जेपी समूह के एजेंट के रूप में कार्य किया है। उन्हें एनजीटी के आदेश और विंध्याचल मंडलायुक्त की जांच आख्या की संस्तुति के आधार पर दंड जरूर मिलना चाहिए। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ वन-विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए। साथ ही जेपी समूह से जल्द से जल्द वनभूमि वापस लेकर उससे राजस्व क्षति की वसूली की जानी चाहिए।'

जनहित याचिका के माध्यम से इसे उच्चतम न्यायालय में उठाने वाले चंदौली जनपद के शमशेरपुर गांव निवासी बलराम सिंह उर्फ गोविंद सिंह का कहना है कि उद्योगपतियों और उत्तर प्रदेश की सरकार की मिलीभगत से वनभूमि को लूटने के मामले में एनजीटी ने न्याय किया है। इसका आदिवासियों और गरीबों के साथ पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।

साभार : वनांचल न्यूज नेटवर्क

उत्तराखंड

प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ नैनीसार में प्रतिरोध सभा

उत्तराखण्ड के नैनीसार इलाके में लंबे समय से जिंदल इंटरनेशनल आवासीय स्कूल के लिए किए गए जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारियों पर जिंदल ग्रुप, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के गठजोड़ ने हर संभव बर्बर दमन किया । किंतु इसके बावजूद स्थानीय लोग इस संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड की बरसी के अवसर पर नैनीसार में प्राकृतिक संसाधनों की लूट व राजकीय दमन के खिलाफ एक प्रदर्शन व जन सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक आंदोलनकारियों तथा जनसंगठनों ने भागीदारी की। 13 अप्रैल 2016 की जनसभा के लिए नैनीसार बचाओ संघर्ष समिति द्वारा जारी किया गया पर्चा हम यहां आपके साथ साझा कर रहे हैं;

सम्मानित साथियों,

राज्य बनने के बाद प्राकृतिक संसाधनों की जो निर्मम लूट उत्तराखण्ड में हुई है, नैनीसार उसका एक उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि उत्तराखण्ड में जब आपदा व विस्थापन के मारे लाखों लोग भूमिहीन गरीब, दलित एक-एक इंच जमीन के लिये दशकों से तरस रहे हैं तब वर्तमान सरकार के मुखिया हरीश रावत ने तमाम कायदे, कानूनों को ताक में रखकर फर्जीवाड़े से नैनीसार की सैकड़ों नाली भूमि पर जिंदल की हिमांशु एजुकेशनल सोसायटी को आवंटित कर अवैध कब्जा करा दिया। आज अपने ही सत्ता के पापों से मात खा चुके, स्टिंग आपरेशन में खुले आम पकड़े जा चुके, वही हरीश रावत बेशर्मी से खुद को शहीद बताने की तिकड़म में लगे हैं। पर जनता जानती है 'खाता न बही, जो हरीश कहे वही सही' जैसे हिटलरी फरमान जारी करने वाले, मुख्यमंत्री कार्यालय को गुण्डों, कमीशनखोरों, रेता बजरी, शराब व जमीन के लुटेरों का अड्डा बनाकर सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को बाउन्सरों से पिटवाकर उन्हीं को गिरफ्तार करने वाले हिटलरों, उनके गिरोह को कैसे सबक सिखाना है।

मित्रों, सत्ता का लगातार दुरूपयोग कर रहे इन लुटेरों को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने से धक्का लगा है। आज अपने को जन प्रतिनिधि कहने वाले उनके विधायक राजनीति की मण्डी में बाधक बनकर अपनी आजादी को तरस रहे हैं। हमेशा लुटेरों के साथ खड़े होकर अन्याय करने वाले, जनता की गाढ़ी कमाई से चमचमाती गाड़ियों, हैलीकॉप्टरों में मौज करने वाले इनके बेबस दायित्वधारियों को आज मंदिरों में फरियाद करते देखना जनता के लिये सुखद अनुभव है।

मित्रों, माफियाराज को मिले इस थोड़े सबक के बावजूद नैनीसार की लड़ाई अभी जारी है। नैनीसार में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से मनमानी करने वाले पर्यावरण का विनाश कर गोचर, वन पंचायत भूमि पर कब्जा करने वाले बिना अनुमति के जे.सी.बी. चलाने वाले, न्यायपूर्ण संघर्षों को पुलिस व बाउन्सरों से जनता को आतंकित करने वाले जिंदलों को सबक सिखाना, इनको गलत तरीके से आवंटित भूमि को वापस लेना, पूरे मामले की निष्पक्ष सी.बी.आई. जांच कराकर जिंदल जैसे गुण्डों को सलाखों के पीछे भेजना अभी बाकी है, जिसके लिये लम्बी लड़ाई लड़नी होगी।

साथियों, नैनीसार जैसे संघर्ष ने हमेशा यह बताया है कि अत्याचारी सत्ताओं के सामने हिम्मत से खड़ी होने वाली जनता ही परिवर्तन ला सकती है। परिवर्तन का यह सतत संघर्ष अभी जारी है। इसी क्रम में आजादी के संघर्ष में गोरे अंग्रेजों के खिलाफ बलिदान का प्रतीक रहे जलियांवाला बाग काण्ड की पुण्य तिथि पर 13 अप्रैल, 2016 को नैनीसार (द्वारसों) में प्राकृतिक संसाधनों की लूट व राजकीय दमन के खिलाफ एक प्रदर्शन व जन सभा का आयोजन किया गया है..

संघर्षशील अभिवादन के साथ
नैनीसार बचाओ संघर्ष समिति

तमाम दबावों के बावजूद ऋचा फैक्ट्री, काशीपुर के मजदूरों का संघर्ष जारी

*उत्तराखण्ड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर शहर में स्थित ऋचा फैक्ट्री के मजदूर फैक्ट्री में यूनियन खत्म करने के विरुद्ध तथा यूनियन की मान्यता हासिल करने के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर बैठे मजदूरों पर फैक्ट्री प्रबंधन डराने धमकाने से लेकर हर तरह के दबाव इस्तेमाल कर रहा है जिसके मजदूर हड़ताल छोड़ दे। लेकिन प्रबंधन के तमाम कोशिशों के बावजूद मजदूर अपनी मांगों को लेकर दृढ़ता से टिके हुए हैं। इसी संबंध में 6 जून को मजदूरों ने काशीपुर शहर में प्रदर्शन किया। प्रस्तुत है साभार **इंकलाबी मजदूर केंद्र** के प्रदर्शन की विस्तृत रिपोर्टः*

काशीपुर (उत्तराखण्ड), 6 जून 2016- यूनियन मान्यता हासिल करने तथा प्रबंधन द्वारा यूनियन खत्म करने के कुचक्रों व बदले की भावना से उत्पीड़न के खिलाफ रिचा के मजदूरों का संघर्ष जारी है। दिनांक 6 जून को हड़ताल से बैठे रिचा के मजदूरों ने काशीपुर शहर में प्रदर्शन किया व शहर में जुलूस निकाला । प्रदर्शन के बाद एक सभा पंत पार्क में की गयी।

जुलूस पंत पार्क से निकलते हुए शहर के मुख्य बाजार से होता हुआ वापस पंत पार्क पहुंचा। जुलूस में मजदूरों के अलावा उनके घरों की महिलायें व बच्चे भी शामिल थे। लाल झंडे व बैनरों के साथ जोशो खरोश से नारे लगाते हुए आंदोलनकारी सड़क पर मार्च कर रहे थे। बारिश होने के बावजूद उनके हौंसले बुलंद थे। शासन-प्रशासन व प्रबंधक/मालिक के गठजोड़ की पोल खोलते हुए उन्होंने केन्द्र की मोदी सरकार व उत्तराखण्ड सरकार के खिलाफ नारे लगाये। पंत पार्क में हुई सभा में इमके, प्रमएके के कार्यकर्ताओं ने बात रखी तथा मजदूरों की लड़ाई का एक मोर्चा सरकार के खिलाफ भी खोलने को कहा। सफाई कर्मचारी संगठन व एचएमएस के नेताओं ने भी मजदूरों के संघर्षों को समर्थन दिया। मजदूरों ने एलान किया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गयीं तो वे उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे।

प्रदर्शन की पूर्व संध्या पर स्थानीय एस.डी.एम. ने मजदूरों को धमकाने का काम किया। यही एसडीएम साहब दो दिन पहले तक मजदूरों का साथ देने की बात कह रहे थे। लेकिन दो दिनों के अंदर ही उनका रुख बदल गया तथा वे मजदूरों से अपने 6 साथियों केा छोड़कर अंदर काम पर वापस जाने की बात कहने लगे। लेकिन मजदूरों ने उनकी धमकी में आने के बजाय साफ शब्दों में कह दिया कि वे तब तक अपनी हड़ताल नहीं तोडेंगे जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं तथा निकाले गये मजदूरों को वापस नहीं ले लिया जाता।

प्रदर्शन के बाद शाम को महिलाओं ने फैक्टरी गेट पर जाकर प्रबंधक को चेतावनी दी कि अगर वह हड़ताल के दौरान नई भर्ती कर काम करवाता है तो वे सभी फैक्टरी से मजदूरों को बाहर निकालेगीं। हड़ताल के दौरान नई भर्ती कर मजदूरों से काम करवाना गैरकानूनी है। लेकिन पुलिस प्रशासन मालिक को नहीं रोक रहा है। लेकिन जैसे ही महिलायें फैक्टरी में गयीं वैसे ही तुरंत पुलिस की दो गाडियां आ गयीं तथा पुलिस महिलाओं को गिरफ्तार करने की बात कहने लगी। महिलाओं ने बिना डरे हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाये। और फैक्टरी में गैरकानूनी तरीके से काम कराने के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मजदूर अपने बुलंद हौंसलों के साथ अभी भी हड़ताल पर हैं।

अवैध खनन से पीड़ित जाखपंत गांव के लोगों के संघर्ष की कहानी

- पिथौरागढ़ से देवेन्द्र पंत की रिपोर्ट

हमारा गांव (जाखपंत) पिछले 15 वर्षों से अवैध व बेतरतीब ढंग से हुए खनन की मार झेल रहा है। आज से 15 वर्ष पहले जब मेरे गांव में सड़क बनी तभी से यहां अवैध रूप से खनन का धंन्धा जोर पकड़ने लगा। तब ग्रामीण लोग भी खनन से भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों को नहीं समझ पा रहे थे। इस कारण ग्रामीण उदासीन थे, परिणामस्वरूप बाहर से आये माफियाओं ने गांव के मुट्ठी भर स्वार्थी तत्वों के साथ गांव के हरे भरे पहाड़ों व हर जगह जहां खनन सामग्री प्राप्त हो सकती थी जी भर कर लूटा, कई वर्षो तक माफियाओं की मनमानी गांव में चलती रही गांव के लोग इसके प्रति उदासीन थे, गांव में अराजकता का माहौल था, यह गांव को दुर्भाग्य था कि उसी दौरान गांव में हुए पंचायती चुनाव में एक अयोग्य व्यक्ति के हाथ प्रधान पद की सत्ता चली गयी, जिसमें माफियाओं का हाथ था, गांव में अराजकता माहौल बन गया था, यह स्थिति अराजक तत्वों के लिए मुफीद साबित हुई, और उन्होंने मनमाने ढंग से गांव को भयानक रूप से खोदना शुरू किया।

हम कुछ लोग प्रारम्भ से ही इसका लगातार विरोध करते आ रहे थे,प्रारम्भ में खुले रूप से विरोध करने वालों की संख्या मुश्किल से चार या पांच थी, तथा प्रशासन पूरी तरफ से माफियाओं के पक्ष में रहता था, तथा हमारी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा था। लेकिन धीरे-धीरे जब आम लोगों के साथ खनन माफियाओं की ज्यादती सामने आने लगी, तथा बेतरतीब ढंग से हुए खनन के दुष्परिणाम सामने आने लगे तब लोग थोड़ा जागरूक होने लगे, माफियाओं व गांव के ही मुट्ठी भर तत्वों द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाने का तमाम प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हम लोगों के प्रयास से अराजक तत्व इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे।

धीरे'- धीरे गांव खनन के विरोध में आन्दोलित होने लगा, लोग साथ आने शुरू हुए हमारा भी उत्साह बढ़ा, तथा प्रशासन भी दबाव में आने लगा, इसी दौरान प्रशासन में कुछ समय तक एक इमानदार अधिकारी की नियुक्ति के दौरान इन खनन माफियाओं पर कार्यवाही की गयी, व कुछ समय के लिए खनन गतिविधियां बन्द रही, इससे हमारे आन्दोलन को बल मिला और लोगों का विश्वास जागा कि हमारी भी बात सुनी जा रही है, इस बीच गांव से सारे खनन करने वाले तत्व भूमिगत रहे, वह इस बात का इन्तजार कर रहे थे कि प्रशासनिक व्यवस्था उनके अनूकूल हो तथा वह फिर से खनन कार्य कर सकें, ठीक ऐसा ही हुआ प्रशासनिक फेरबदल उनके अनूकूल हुआ और खनन माफियाओं ने फिर से अपना सर उठाना शुरू कर दिया।

इसी बीच उत्तराखंड की वर्तमान सरकार ने भी खनन सम्बन्धी सारे नियम कानून व मानक सरल कर दिये, इसके परिणामस्वरूप खनन माफियाओं ने गांव के अन्दर जहां तहां खनन के पट्टे स्वीकृत कराने शुरू कर दिये है । वर्तमान में धड़ल्ले से पट्टे दिये जा रहे हैं, लेकिन गांवसासियों व ग्राम पंचायत को सूचना तक नहीं दी जा रही है कि उनके गांव में खनन पट्टे का आवंटन किया जा रहा है। गांव की पंचायत की अवहेलना की जा रही है व लोगों के मानवाधिकारों का खुल्लमखुल्ला उल्लंधन किया जा रहा है।

अभी गांव में खनन के विरोध में एक बहुत बडा जनआन्दोलन खड़ा हो चुका है, लोग इससे भविष्य में पड़ने वाले दुष्प्रभावों को समझा चुके हैं। लगातार विरोध और जनआन्दोलन के फलस्वरूप जिला प्रशासन दवाव में आया हैं दिनांक 22 जून 2016 को ग्रामवासियों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में एक विशाल प्रदर्शन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने एक़ होकर अपने गांव में मनमाने व बिना पंचायत की जानकारी के जारी खनन पट्टे निरस्त करने की मांग की। भारी जनविरोध को देखते हुए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने आश्वासन दिया है कि

ग्रामवासियों की भावना के अनुरूप जाखपंत गांव में जारी खनन पट्टों को निरस्त करने की संस्तुति शासन को की जायेगी, तथा शीघ्र ही पचायत को इसकी जानकारी दी जायेगी।

लेकिन फिर भी ग्रामवासियों को शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं है, तथा ग्रामवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि ग्रामवासियों के हित में कदम नहीं उठाये गये तो ग्रामवासी फिर खनन के खिलाफ विशाल प्रदर्शन करेंगे, ग्रामवासी खनन के खिलाफ कोर्ट में जाने का भी मन बना रहे है। देर से ही सही ग्रामवासियों में खनन के खिलाफ जागरूकता आयी है, तथा ग्रामवासी अपनी अधिकारों व अपने गांव को बचाने को उठ खड़े हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश

कोलडैम सत्याग्रह :17 दिनों से जारी है विस्थापित मजदूरों की हड़ताल

एनटीपीसी द्वारा एक ही काम के मजदूरों को अलग-अलग पैसे दिए जा रहे हैं। चहेते मजदूरों को भत्ते भी दिए जा रहे हैं। मजदूरों से बिना सुरक्षा उपकरण काम करवाया जा रहा है, जिस कारण 300 मजदूर रोजी-रोटी के लिए जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। मजदूरों से 12 घंटे काम लिया जा रहा है तथा उनसे 30 दिन काम करवाकर 26 दिन का वेतन दिया जा रहा है। एक-एक मजदूर से 4-4 मजदूरों का काम लिया जा रहा है। मजदूरों को पदोन्नति की बजाय उनका डिमोशन किया जा रहा है। गाड़ी व आवास की सुविधा देने में भी भाई-भतीजावाद चल रहा है। काम से हटाए गए मजदूरों को आश्वासन के बाद भी काम पर वापस नहीं लिया जा रहा है। मजदूरों को ओवरटाइम का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। कुछ मजदूरों को 3 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। मजदूरों को पहचान पत्र, ज्वाइनिंग लैटर व अटैंडैंस कार्ड भी नहीं दिए गए हैं । मजदूरों को 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं जबकि पे-स्लिप 25 हजार रुपए की बनाई जा रही है।

अगर एनटीपीसी विस्थापित कर्मचारियों के साथ ऐसा ही सौतेला व्यवहार करती रही तो कोलबांध परियोजना के समस्त विस्थापित व् प्रभावित बहुत जल्द मजदूरों के साथ खड़े होंगे और एनटीपीसी को अपने इस सौतेले रवैये के लिए न्यायलय तक जबाबदेही करनी होगी।

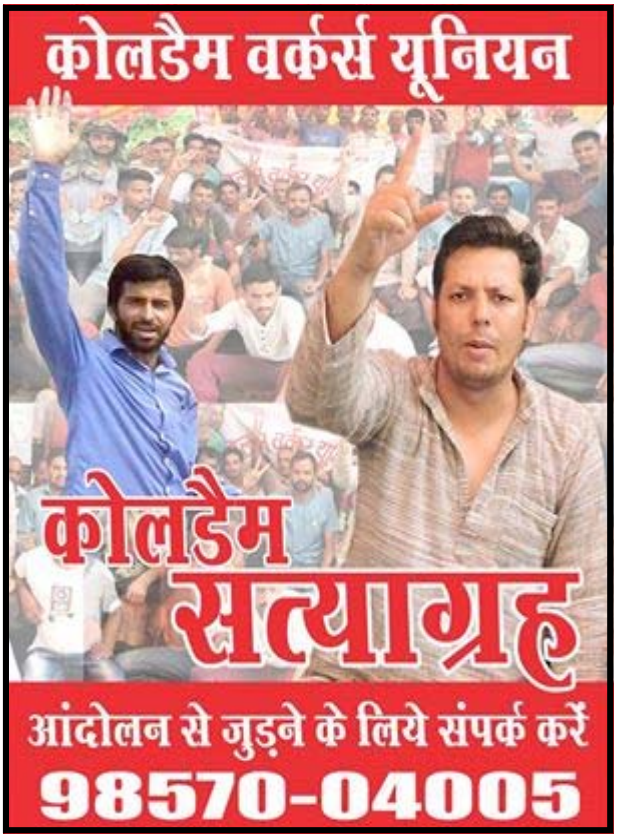

मजदूरों ने फैसला लिया की जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जायेगा तब तक सभी मजदूर एंटीपीसी महाप्रबंधक के कार्यालय के बाहर ही धरना प्र दर्शन करेंगे ।

छत्तीसगढ़

फर्जी मुठभेड़, सरेंडर, गिरफ्तारियां बयां करती हैं बस्तर की असली तस्वीर : एआईपीएफ जाँच दल की रिपोर्ट

रायपुर, 12 जून। अखिल भारतीय लोक मंच का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल डॉ. सुनीलम, कविता कृष्णन, आराधना भार्गव, विनोद सिंह, अजय दत्ता, अमलेन्दु चौधरी, अबलान भट्टाचार्या, बृजेन्द्र तिवारी ने प्रेसवार्ता को रायपुर प्रेस क्लब में संबोधित करते हुए बताया कि अखिल भारतीय लोक मंच का 8 सदस्यीय जांच दल ने 8 जून से 11 जून के बीच बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा तथा बीजापुर जिलों का दौरा किया। टीम के साथ बेला भाटिया, सोनी सोरी एवं अन्य स्थानीय लोगों ने भी दौरा किया। टीम के सामने ईसाईयों के खिलाफ साम्प्रदायिक हिंसा, फर्जी मुठभेड़, बलात्कार, असंवैधानिक गिरफ्तारियां तथा फर्जी आत्मसमर्पण के कई प्रकरण सामने आए।

ईसाईयों के खिलाफ साम्प्रदायिक दंगे

करमरी, बड़े ठेगली, बेलर, सिरिसगुड़ा आदि ग्रामों में छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 129 (ग) के तहत प्रस्ताव पारित कर गैरहिन्दुओं को (ईसाई) को रहने, घर बनाने, पूजा घर बनाने से रोका गया है। हालांकि सिरिसगुड़ा और करमरी के ग्राम सभा के प्रस्तावों को उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ग्राम पंचायत भड़ीसगांव में पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 55 (1) और (2) के तहत ईसाई मंच चर्च भवन के निर्माण पर रोक लगा दी। निर्णय का आधार भड़ीसगांव में हिन्दू धर्म को मानने वाले विभिन्न जाति तथा समुदाय के लोगों द्वारा देवी-देवता रक्षा हेतु माता मंदिर, भगवान मंदिर एवं गांव की रक्षा करना तथा दशहरा पर्व में रूपशिला देवी मां का शामिल होना बताया गया। सार्वजनिक कब्रिस्तान में ईसाईयों द्वारा अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है। भड़ीसगांव की सरोदी बाई की मौत 25 मई 2016 को हुई, जिनको अंतिम संस्कार करने से रोका गया। इसी तरह सरोदी बाई के पति सुखदेव नेताम की मृत्यु 6 जून 2016 को हुई जिन्हें भी अंतिम संस्कार से रोका गया। बाद में विवाद बढ़ने पर पुलिस प्रशासन ने अंतिम संस्कार कराया। गांव के दो सौ ईसाई परिवारों द्वारा जिलाधीश, तहसीलदार, ग्राम पंचायत को अलग से कब्रिस्तान की जमीन आवंटित करने के लिए आवेदन दिया। लेकिन अभी तक ईसाईयों को अंतिम संस्कार करने के लिए भूमि आवंटित नहीं की गई है।

5 जून 2016 को ग्राम आरा, बारियो चौकी, जिला सरगुजा में पास्टर अलविस बारा की पत्नी, तीन अन्य लोग एवं बच्चों को बजरंग दल के 25 कार्यकर्ताओं ने छोटू जायसवाल, सोनू गुप्ता, विपिन गुप्ता, छोटू गुप्ता के नेतृत्व में पीटा तथा पिटाई का वीडियो लिया गया और उसको सार्वजनिक किया गया। तीन दिन तक थाने में रखने के बाद पत्नी और अन्य को छोड़ दिया गया तथा पास्टर की अभी तक जमानत नहीं हुई है। गांव सिरिसगुड़ा में ईसाई विश्वासियों को राशन नहीं दिया गया, खाद्य अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करने पर पीटा गया, उसके बाद भी उन्हें राशन मिल रहा है। मारपीट के दौरान लोगों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, इसके लंबे प्रयासों के बाद प्रथम सूचना पत्र लिखा गया है।

विश्व हिन्दू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं तथा ग्रामवासियों को जिलाधीश ने गांव में बैठक के लिए बुलाया, तब विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल के लोगों ने कहा कि ईसाई समाज के लोगों की घर वापसी करायी जाये, नहीं तो हम धारा 29 (ग) के तहत ईसाईयों को गांव में नहीं रहने देंगे।

वन अधिकारों का उल्लंघन एवं राज्य का दमन

कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोहचे क्षेत्र के एक ग्रामीण ने बताया कि ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत, ग्रामसभा को जानकारी दिए बिना 25 हेक्टेयर जमीन रावघाट माईंस के लिए दे दिया गया, लेकिन उत्खनन प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। पेड़ों की कटाई चल रही है, और 50 साल से काबिज आदिवासियों की जमीन कब्जा कर ली गई है। पूरे क्षेत्र में कई देवी-देवताओं के स्थान है, उनको भी नहीं छोड़ा गया है। गांव का श्मशान घाट कंपनी को सौंप दिया गया है। पूरे क्षेत्र में सीआरपीएफ के कई कैम्प स्थापित कर दिए गए हैं ताकि ग्रामवासी विरोध न कर सके।

फर्जी मुठभेड़

जांच दल ने दंतेवाड़ा जिला के नागरगुड़ा गांव का दौरा किया। जहां रामे, पाण्डी, सन्नी, मासे महिलाओं को फोर्स द्वारा गोली मार दी गई। मासे के साथ प्रधान आरक्षक बदरू ने बलात्कार किया, इसके बाद उसको मार डाला। घटना सुबह 7 बजे की है। इस घटना के लिए 22 जवानों को पुरस्कृत किया गया जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ है। जांच टीम सुकमा जिले के दोरनापाल तहसील के अरलमपल्ली गांव गई, जहां पता चला कि 3 नवंबर 2015 को गांव के नौजवान दुद्धी भीमा उम्र 23 साल, सोधी मुया उम्र 21 साल और वेट्टी लच्छू उम्र 19 साल की हत्या कर दी गई। 3 नवंबर 2015 को सुबह तीनों नौजवान सीन (खजूर रस) पीने गए थे, जहां से वे नजदीकी बाजार जा रहे जहां भीमा की मां इंतजार कर रही थी। गांव के पास नाले के बगल में एक नौजवान वेट्टी लच्छू साइकिल से उतर गया। बाकी दोनों आगे बढ़े। वहां पुलिस पहले से घात लगाई बैठी थी और उन्होंने दोनों नौजवानों को पकड़कर पीटना शुरू किया। इसे देख तीसरा नौजवान वेट्टी लच्छू भागने की कोशिश किया, और उसे पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस बाकी दोनों लड़कों से कहा कि अपने मित्र के शव को ढोकर पोलमपल्ली थाना ले चलो। रास्ते में पिकप वाहन बुलाया और शव रखवा दिया, फिर जब दोनों लड़के घर की ओर जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें भी मार डाला। इस घटना के दो बुजुर्ग गवाह हैं।

जांच दल उसके बाद पालमगडू गई, जहां के बारे में पुलिस ने बताया था कि 31 जनवरी 2016 को दो माओवादी महिलाएं एक घंटे चली फायरिंग में मारी गई हैं। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने बताया कि सिरियम पोज्जे उम्र 14 वर्ष, मंजम शांति की उम्र 13 साल थी। सीरियम पोज्जे की मां ने बताया कि उनकी बेटी मुर्गी खोलने घर से बाहर निकली थी और नदी में छोड़कर लौट रही थी, रास्ते में दोनों को गोली मार दी। मंजम शांति के पिता ने भी इस बात की पुष्टि की। ग्राम कड़ेनार जिला बीजापुर में मनोज हपका एवं उनकी पत्नी पांडी हपका (जिसे तंती पांडी भी कहा जाता है) को एनकाउंटर में मारा गया। गांव जाने पर पांडी हपका की मां ने बताया कि 31 मई 2016 की रात 8 बजे पुलिस वाले उनके घर आए, उस समय मनोज पत्नी के साथ भोजन कर रहा था। हमारी बेटी और दामाद को पुलिस पकड़कर ले गई, साथ ही उसके सामान के साथ 13 हजार रूपए भी ले गई। पांच साल पहले बेटी और दामाद नक्सलियों के साथ थे, लेकिन बेटी को टीबी की बीमारी होने के कारण वापस आ गए। पांच साल से घर पर रहकर खेती का काम कर रही थी।

सुकमा जिले के पडिया गांव में 21 मई 2016 को सुबह 10 बजे दो-तीन सौ की फोर्स आई, जलाशय में काम करने वाले मजदूरों को कहा कि तुमने 19 मई को एस्सार की पाईप लाईन तोड़ी है, पुलिस 11 आदिवासियों को लेकर गई, 2 को बाद में छोड़ दिया गया, 9 अभी भी जेल में हैं। पुलिस सरपंच मरकाम खड़मा को जांच दल के पहुंचने वाले दिन की रात को लेकर गई तथा पुलिस की वर्दी पहनाकर गांव में घुमाया, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह

पुलिस ने षडयंत्रपूर्वक पुलिस एजेंट होने का प्रयास किया है। सरपंच पर माओवादी हमले की आशंका हो गई है। जांच दल को जोगा उम्र लगभग 12 वर्ष से मिला। उसने बताया कि पुलिस थाने ले गई और 7 दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखा था, जहां उससे थाने की सफाई, बर्तन धोने, पानी भरने इत्यादि काम कराया जाता था। बाद में उसे छोड़ दिया गया। जिस दिन जांच दल पहुंचा, उसी रात में जोगा के पिता को तीन अन्य लोगों के साथ हिरासत में ले लिया गया था। गादीरास के थाना प्रभारी ने बताया कि बार-बार गिरफ्तारियां इसलिए की जा रही हैं कि जोगा की बहन महिला कमांडर है जबकि जांच दल के समक्ष डेढ़ सौ से अधिक ग्रामवासियों ने बताया कि लड़की गांव में ही रहती है, तथा उसे फर्जी तौर पर फंसाया जा रहा है। जांच दल को आशंका है कि जोगा की बहन को नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। सरपंच को भी फंसाया जा सकता है।

सीआरपीएफ जवान द्वारा नाबालिग लड़की का बलात्कार

8 जून 2016 को 14 साल की एक लड़की पोडम गांव थाना दंतेवाड़ा में अपनी किराने की दुकान को बंद कर रही थी जब एक सीआरपीएफ का जवान आया और रात भर उसके साथ बलात्कार किया। वो अपने जीजाजी से शिकायत की जिसमें थाने में रिपोर्ट लिखवाई। 11 जून 2016 को जांच दल दंतेवाड़ा पहुंचकर पीड़िता से बात कर पाई और थाने में इस मसले को उठाने में सोनी सोरी का साथ दिया। पीड़िता को 11 जून की रात को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। सीआरपीएफ जवान ने लड़की को अपना नाम (आरआर नेताम) लिखवाया था और नंबर भी लिखवाया था पर टीआई ने बताया कि इस नाम का गांव के नजदीक जारूम सीआरपीएफ कैम्प में कोई जवान नहीं है। इससे पता लगता है कि जवान ने गलत नाम दिया था।

फर्जी सरेंडर

चिंतलनार इलाके में 70 फर्जी सरेंडर हुए हैं। जांच दल चिंतलनार गांव पहुंची जहां कई लोगों ने हमें बताया कि उन पर दबाव डालकर 'सरेंडरÓ कराया गया। एक छोटे दुकानदार ने हमें बताया कि एक एसपीओ ने उन्हें फोन करके पोलमपल्ली थाना बुलाया, यह कहकर कि तुम्हारे खिलाफ वारंट है। जब वे थाना पहुंचे तो उन्हें और उनके जैसे 25 लोगों को पुलिस ने बताया कि अगर आप 'सरेंडर' नहीं करते हैं तो आपको नागेश नाम के एसपीओ की हत्या के केस में फंसा दिया जाएगा। (नागेश दो साल पहले मारे गए थे) ये छोटे दुकानदार 55 साल के हैं। उन्होंने कहा कि अन्य 25 लोगों में भी एक भी असली सरेंडर का केस नहीं था। उन सबको 10-10 हजार रूपए स्पॉट पर ही दिए गए। कई दूसरों के साथ भी ऐसा ही हुआ पर वे माओवादियों के डर से बोलना नहीं चाहते थे। हमें बताया गया कि गांव के सरपंच, कोसा को भी माओवादियों से दबाव मिल रहा है क्योंकि उन्होंने फर्जी सरेंडर कराने में पुलिस की मदद की।

गांवों के हालात

पूरी यात्रा में दो एआईपीएफ दल 1650 किलोमीटर की दूरी तय किए, और 25 गांवों का दौरा किए। यहां उन्हें 60 से भी अधिक पुलिस और सीआरपीएफ के कैम्प मिले। इन गांवों में गांव वाले बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और एक-दूसरे को शक की नजरिए से देख रहे हैं। चार जिलों- बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर- में राजनीतिक दल और अन्य संगठनों की गतिविधियां काफी कम है जिससे महसूस होता है कि लोकतंत्र का दायरा संकुचित हुआ है। बीजापुर के केतुलनार में आंगनबाड़ी में दिए गए दूध को पीने से दो बच्चियों की मौत हो गयी । वहां हमारे दल ने पाया कि गांव में 8 मितानिन हैं जिनके पास उल्टी-दस्त के लिए भी दवाईयां नहीं हैं और अस्पताल 10 किलोमीटर दूर है। अब बच्चों की मौत के बाद दवाईयां तो दी गई हैं पर दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ अब तक गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज नहीं हुआ है।

मोदी का विकास मॉडल : देश के पर्यावरण और आदिवासियों के लिए विनाश का मॉडल हैं

हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति और छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2016 को छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मदनपुर गाँव में एक दिवसीय ग्राम सभाओं की भुमिकाओं और चुनोतियों पर सम्मलेन का आयोजन.
छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने कहा की हसदेव अरण्य क्षेत्र जेसे कई महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों को खनन से मुक्त रखने के लिए नो गो क्षेत्र के प्रावधान को न सिर्फ ख़त्म किया जा रहा हैं बल्कि कोयला खदानों की नीलामी /आवंटन किया जा रहा हैं | कार्पोरेट पूंजी के विकास के लिए सभी सरकारें हमारे तमाम संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन करने से भी नहीं चूक रहीं हैं .
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव का. संजय पराते ने कहा की हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं की 125 करोड़ लोगों में इस देश के 10 करोड़ आदिवासी उनके नागरिक हैं की नहीं, जिनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की उन्हें रक्षा करनी हैं . उन्होंने कहा की सरकार की नीतियाँ आदिवासियों का सामूहिक शिकार कर रही हैं ।मोदी का विकास मॉडल इस देश के पर्यावरण आदिवासियों के विनाश का मॉडल हैं .
अखिल भारतीय किसान सभा के का. नन्द कश्यप ने छत्तीसगढ़ में औद्योगीकरण के मॉडल से हो रहे पर्यावरण दुष्प्रभाव का उल्लेख कर कहा की यदि छत्तीसगढ़ के घने वनों का विनाश जारी रहा तो इसकी कीमत सिर्फ प्रदेश ही नही बल्कि पुरे देश के नागरिको को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी .
उन्होंने बताया की पिछले वर्ष दिनांक 10.01.2015 को हसदेव अरण्य क्षेत्र के 18 ग्राम सभाओं ने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ग्राम सभा प्रस्तावों के साथ एक पत्र लिखा था जिसमें इस क्षेत्र में किसी भी कोयला खनन परियोजना को आवंटन ना किये जाने की मांग की थी ,साथ ही इस क्षेत्र में वन अधिकारों के सही क्रियान्वयन की मांग की थी .परन्तु पिछले वर्ष के सरकारी कार्यवाही और आदेशों से प्रतीत होता है कि शायद उनके पत्र पर ध्यान नहीं दिया गया .
सभा में विस्तृत परिचर्चा के उपरान्त प्रधान मंत्री को उनकी मन की बात में पर्यावरण एवं वन संरक्षण के प्रति चिंता को देखते हुए उन्हें पुनः एक पत्र लिखने का निर्णय लिया गया . इस पत्र में प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की ,कि गत वर्ष में आपकी सरकार की कई नीतियाँ और कार्यवाही हसदेव अरण्य जैसे दुर्लभ वन के संरक्षण के विपरीत हैं जैसे -

1. हसदेव अरण्य क्षेत्र जेसे कई महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों को खनन से मुक्त रखने के लिए नो गो क्षेत्र के प्रावधान को न सिर्फ ख़त्म किया जा रहा है ,बल्कि कोयला खदानों की नीलामी और आवंटन भी किया जा रहा है |
2. हमारे क्षेत्र की 18 ग्राम सभाओं ने अपने पाँचवी सूची क्षेत्र तहत पेसा कानून 1996 तथा वनाधिकार मान्यता कानून 2006 से प्रदत्त अधिकारों के तहत कोयला खनन तथा कोयला ब्लॉक के आवंटन या नीलामी का पूर्व में ही विरोध दर्ज कराया था, परंतु इसके बावजूद यहाँ पर 5 कोयला खदानों का आवंटन किया गया. गिद्मुडी, पतुरिया, पर्सा, पर्सा ईस्ट, केते बासन .
3. वनाधिकार मान्यता कानून का घोर उल्लंघन किया जा रहा है |सन 2013 में दिए गए ग्राम घाटबर्रा के सामुदायिक वन अधिकारों को निरस्त किया गया है जो न सिर्फ गैरकानूनी है परन्तु कानून का मज़ाक है जिसमें किसी भी सामुदायिक वन अधिकार के निरस्तीकरण का कोई प्रावधान ही नहीं है |
4. ग्रामवासियों के वनाधिकार मान्यता में भी भारी गड़बड़ियां हैं . हालांकि यहाँ 19 गाँव को लम्बे संघर्ष के बाद सामुदायिक वन अधिकार पत्र मिले हैं परन्तु यह अधिकार ग्रामसभाओं के दावे किये गए क्षेत्र से बहुत कम हैं और सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार पत्रक अभी भी लंबित हैं |

दैनिक भास्कर के लिए लाठी एवं बंदूक के साये में जनसुनवाई की नौटंकी

दैनिक भास्कर समूह के डीबी पावर के रेल लाइन पर 29 जून को 2016 को कुनकुनी, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़) में बंदूक के साये में जनसुनवाई की नौटंकी लिखी गयी है. प्रशासन इस जनसुनवाई को किसी भी हाल में फेल नहीं होने देना चाहता है इसलिए सुरक्षा और नाकेबंदी ऐसी कि कुनकुनी जाने वाले हर रस्ते पर सन्नाटा. स्पेशल फ़ोर्स के फ्लैगमार्च के कारण गावों में कर्फ्यू जैसे हालात. हाईस्कूल में आयोजित जनसुनवाई में प्रशासन ने अपने समर्थकों को पहले से ही लाकर बिठा दिया था जनसुनवाई स्थल से 500 मीटर दूर परियोजना का विरोध कर रहे आदिवासियों को रोक रखा था.

रायगढ़. डीबी पावर के रेल लाइन के लिए आयोजित होने वाली जनसुनवाई में ग्रामीणों की ओर से जमकर विरोध की तैयारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनसुनवाई आयोजित करने के लिए जो भी आवश्यक नियम होते हैं उसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। यह जनसुनवाई 29 जून को खरसिया ब्लाक के कुनकुनी ग्राम में आयोजित की गयी है। इसके तहत 68 किसानों से कुल 45.87 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है।

इस भू-अर्जन की प्रक्रिया में 546 पेड़ों की बली दी जाएगी। 29 जून को होने वाले जनसुनवाई के संबंध में प्रभावित किसानो तथा ग्रामवासियों से चर्चा करने पर उनके द्वारा बताया गया कि जनसुनवाई के पोस्टर लगाकर उन पोस्टरों के फोटो लेकर उन्हे वापस निकाल दिया जा रहा है। गांव में अभी तक कोई मुनादी नही कराई गई है ग्रामवासियो ंमें इस प्रस्तावित जनसुनवाई को लेकर अनेक भ्रांतियां है। जानकारी ग्राम चौकीदार के माध्यम से मिली है, ग्राम वासियों के द्वारा जनसुनवाई में अपना विरोध दर्ज कराया जायेगा।

किसको मिलेगा मुआवजा

विदित हो कुनकुनी में रेल लाइन के लिए अधिग्रहित होने वाली जमीन का मुआवजा किसे मिलेगा यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कुनकुनी जमीन घोटाले में यह बात सामने आ चुकी है कि आदिवासियों की जमीन को रसूखदारों ने औने-पौने दाम में हड़प लिया ह। इस मामले की जांच हुई है, कार्रवाई भी हुई है पर अभी भी बड़े अधिकारी और खरीददार अपने रसूख के कारण कार्रवाई की जद से बाहर हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उसका मुआवजा किसे मिलेगा, जो आदिवासी उस जमीन का मालिक है जिसके हाथों से छल करके जमीन लूट ली गई है या फिर उन्हें मिलेगा जो इसके वर्तमान मालिक हैं।

हुई है बेनामी खरीदी

सूत्रों से यह जानकारी भी मिली है कि आदिवासियों की कई एकड़ जमीन बेनामी खरीदी की गई है। जिसका लाभ किसानों को नही मिलेगा। टुण्ड्री और बाड़ादरहा क्षेत्र में भी बेनामी जमीन की खरीदी की गई है। जिसमें एक आदिवासी के नाम पर दूसरे आदिवासी की जमीन खरीदी की गई है। ऐसे में कंपनी की यह जनसुनवाई आसान नहीं होगी।

रमन सरकार का एक और कारनामा : बिना पुनर्वास दिए 702 दलित परिवारों को किया बेघर

छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के हास्पिटल सेक्टर 9 में अभी तक पचास साल पुराने दो ब्लाक धराशायी (बुलडोजर से तोडे गये)

बडी संख्या में महिलाएं और बच्चे घायल,
पानी बिजली बंद बहुत बुरे हालात
शांति पूर्वक बैठे लोगों पर लाठीचार्ज

जून की भीषण गर्मी में बिना पुनर्वास दिए गरीबों के आशियाने को तोड़ना भाजपा सरकार के गरीब विरोधी चेहरे को उजागर करता है – छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन इस बर्बर कार्यवाही की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए लोगों के तत्काल पुनर्वास की मांग करता है | पेश है 6 जून को जारी छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन का बयान;

छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में हॉस्पिटल सेक्टर 9 में पचास वर्षों से निवासरत सफाईकर्मी 702 दलित परिवारों को बी.एस.पी. प्रबंधन एवं राज्य सरकार द्वारा उजाड़ा जा रहा है | बी.एस.पी के बुलडोज़र के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से भारी पुलिसवर्ग को तैनात करके, शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कर रहे कर्मचारियों पर बर्बर लाठी चार्ज करते हुए 2 ब्लांको को तोड़ दिया गया |

ज्ञात हो की बी.एस.पी प्रबंधन के द्वारा जर्जर मकानों का हवाला देकर 702 मकानों को खाली करने का नोटिस कुछ दिन पूर्व ही दिया गया था | निवासरत परिवार पुनर्वास की मांग को लेकर और जब तक पुनर्वास नहीं दिया जाता तब तक बिल्डिंग ना तोड़ने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे | परन्तु लोगों की जायज़ मांग पर ना तो बी.एस.पी. प्रबंधन ना ही राज्य सरकार द्वारा कोई भी संज्ञान लिया गया l

प्रशासन ने एक तरफ़ा कार्यवाही करते हुए इन ब्लांको को तोड़ दिया गया | सेक्टर 9 में निवासरत इन परिवारों में कई ऐसे परिवार हैं जो वर्षों पहले अपना सब कुछ छोड़ कर भिलाई शहर को संवारने और सजाने के लिए यहाँ बसे थे | इसमें अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनके पास अन्य कोई घर या विकल्प नहीं हैं | कई परिवारों ने तो घरो को खरीद भी लिया था इसके बावजूद भी बी.एस.पी. प्रबंधन ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है .

प्रभावितों के अनुसार ये घटना केवल कुछ बिल्डरों को भारी मुनाफा पहुंचाने के लिए, और गरीबों की ज़मीन छीन कर उस पर मॉल बनाने के लिए की गयी है |

आज एक तरफ देश के प्रधान मंत्री हर गरीब को छत और घर देने की बात कह रहे हैं, वहीँ दूसरी ओर 5000 लोगों के सर से छत छीन लिया गया है |

यह भाजपा सरकार की गरीब विरोधी चरित्र और दोगलेपन को उजागर करता है | छत्तीसगढ़ बचाओं आन्दोलन पुनः इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और मांग करता है की इस कार्यवाही में शामिल सभी अधिकारियों को दण्डित किया जाया और तत्काल सभी परिवारों को मुवावजा और पुनर्वास दिया जाए |

झारखण्ड

पोटका के आदिवासियों का भूषण स्टील कंपनी के खिलाफ एक दशक से बहादुराना प्रतिरोध

झारखण्ड के पोटका क्षेत्र में प्रस्तावित भूषण स्टील कंपनी ने जमीन का सर्वे करने का दुबारा दुशः साहस किया है ज्ञात रहे इस से पहले कम्पनी ने 11 सितंबर 2008 को गुर्रा नदी के पास गुप्त रूप से जमीन का सर्वे करने का प्रयास किया था जहाँ पर आंदोलनकारियों ने 3 सर्वेयरों को पकड़ लिया था। उसके बाद तीनों जूते की माला पहनायीm थी। परंतु कम्पनी ने इस से सबक नहीं लेते हुए जून 2016 में दुबारा से गाँव में सर्वे करने का प्रयास किया है। इस घटना के विरोध में आंदोलनकारियों ने 24 जून को पोटका अंचलाधिकारी को ज्ञापन दिया;

सेवा में,
अंचलाधिकारी
पोटका, पूर्वी सिंहभूम झारखण्ड।
विषयः भूषण स्टील कंपनी हेतु जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के विरोध में ज्ञापन
महोदय,
स्थानीय दैनिक प्रभात खबर समाचर पत्र अखबार से यह पता चला है कि भूषण स्टील कंपनी के पहले चरण के निर्माण के लिए आपने अन्य अधिकारियों और कंपनी के अधिकारियों के साथ गांवों का मुआयना किया, ग्रामीणों से बात की और कुछ रैयतों के साथ बठक भी की। एक खबर के मुताबिक कंपनी जरूरी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीद चुकी है। सरकारी भूमि के अधिग्रहण का निर्णय शीर्ष स्तर पर प्रक्रिया में है और रैयती भूमि के अधिग्रहण के लिए कवायद शुरू हुई है।
आपको ज्ञात होगा कि अधिकांश ग्रामीण इस कंपनी का लगाने तथा भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ एक दशक से संघर्षरत हैं। प्रखण्ड से लेकर उपायुक्त, झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव, राज्यपाल झारखण्ड से उन्होंने बार-बार अपना विरोध प्रकट किया है। तब भी यह प्रक्रिया चलाना जनभावना के विरोध में है।
आपको कंपनी के अधिकारी के साथ गांव क्षेत्र का सभी दौरा करने की जगह सभी ग्राम सभा के अध्यक्ष, ग्राम प्रधानों को इस संदर्भ में लिखित जानकारी देनी चाहिए थी। आपको अगली कोठ भी प्रक्रिया चलाने के पहले सभी गांवों के ग्राम सभा के अध्यक्षों को लिखित रूप में तथा हरेक गांव में ग्राम सभा बुलाकर ग्रामीणों के समक्ष अपनी बात रखनी और ग्रामीणों की बात सुननी चाहिए। आपको इन प्रश्नों का सही जवाब भी देना चाहिए-

- भूषण कंपनी का एम.ओ.यू. रद्द हो गया है। यह जानकारी ग्रामीणों को है। तब यह प्रक्रिया कैसे शुरू हुई ?
- भूषण कंपनी ने किस गांव में किस व्यक्ति से कितनी जमीन खरीदी है, इसकी सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।
- सरकारी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया ग्राम सभा की सहमति के बिना कैसे चल सकती है ? गांव की सार्वजनिक भूमि पेसा कानून के अनुसार मूलतः ग्राम सभी की है।
- अखबारों में आये आंकड़ों के हिसाब से भी कंपनी ने 80 प्रतिशत जमीन नहीं खरीदी है। तब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कैसे चल सकती है ?
- यह अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण काननून किस संस्करण के तहत किया जा रहा है ?
- भूषण पावर एण्ड स्टील कंपनी का सामाजिक अंकेक्षण हेाना चाहिए ? आपको यह जानना चाहिए कि यह क्षेत्र पांववीं अनुसूची के तहतज आने वाले पेसा के जरिये ग्राम सभा को विशेष अधिकार से लैस क्षेत्र है। सामान्य प्रावधान यहां लागू नहीं है। पिछले दस वर्षों से ग्रामीणों ने अपनी एकता से अपनी जमीन बचायी है। आपको इस सक्रिय जन भावना के साथ होना चाहिए।

अतः आज दिनांक 24.06.2016 को विभिन्न जनसंगठनों के द्वारा अंचल अधिकारी पोटका को सौंपा जा रहा है।

-विस्थापन विरोधी एकता मंच

झारखण्ड : स्थानीय नीति, सी एन टी और एस पी टी एक्ट के संशोधन के विरुद्ध प्रदर्शन

-सच्चिदानंद सोरेन

दुमका (स.प.) रामगढ़ प्रखंड के सुसनिया पंचायत के अन्तर्गत धोधूमा गांव के मातकोम टंडी में बुधराई हेम्ब्रोम,साबित टुडू और सोम मरांडी के संयुक्त अध्यक्षता में झारखण्ड सरकार के द्वारा घोषित स्थानीयता निति और CNT और SPT एक्ट के संसोधन को लेकर संताल आदिवासियों का स्वशासन व्यवस्था मोड़े मंझी बैसी का 29 मई को बैठक किया गया और इसपर विस्तृत चर्चा किया गया.जिसमे सुसनिया पंचायत के ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों ने भाग लिया.चर्चा के बाद गांव के प्रधानों और ग्रामीणों ने यह पाया कि रघुवर सरकार की स्थानीयता निति झारखण्ड के आदिवासी और मुलवासियो के विरोध में है.

रघुवर सरकार ने झारखण्ड के स्थानीय निवासी को जो परिभाषित किया है वह न्याय संगत नहीं है.यह झारखण्ड के मूलवासी(गैर आदिवासी और आदिवासी)को ध्यान में रख कर नहीं बनाया गया है.इसके केंद्र बिंदु में सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों को किस तरह से झारखण्ड का स्थानीय निवासी बनाया जाय को ध्यान में रख कर बनाया गया है.

इस निति को जिस तरह से परिभाषित किया गया है उससे यहाँ के आदिवासी और मूलवासियो के अस्तिव पर प्रश्न चिन्ह लग गये है.मोड़े मंझी बैसी ने कहा झारखण्ड सरकार और TAC जिस तरह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिय CNT और SPT एक्ट का संसोधन कर रही है,उससे झारखण्ड के गरीब आदिवासी और गरीब मूलवासियो का शोषण होगा.वर्तमान स्थानीय निति और CNT, SPT एक्ट का संसोधन सिदो-कान्हू,चाँद,भैयरो,फूलो,झानों, बिरसा मुंड़ा स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के विरोध में है जिन्होंने अपने जान देकर देश के लिय अंगेजो के विरोध हुल(लड़ाई) और उलगुलान किया था.

मोड़े मंझी बैसी ने झारखण्ड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह बोरियो के विधायक श्री ताला मरांडी के उस बयान का भी निंदा किया और आक्रोश व्यक्त किया जिसमे यह कहा गया था कि स्थानीय निति में संशोधन की कोई जरुरत नहीं है.मोड़े मंझी बैसी ने मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास,दुमका के विधायक सह कल्याण मंत्री डॉ लुइस मरांडी और झारखण्ड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह बोरियो के विधायक श्री ताला मरांडी से यह सवाल पूछा कि जब झारखण्ड के मूल आदिवासी अग्रेज जमाने में आसाम गए,आज तक उन्हें वहाँ आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया तो कैसे झारखण्ड में 30 वर्ष और मेट्रिक पास(जन्मे) करने पर बाहरी लोगों को स्थानीयता घोषित किया जा रहा है ?

वर्तमान स्थानीय निति के विरुद्ध ,CNT और SPT एक्ट के संशोधन के विरुद्ध, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह बोरियो के विधायक श्री ताला मरांडी के बयान के विरुद्ध और TAC सदस्यों के विरुद्ध झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास,दुमका के विधायक सह कल्याण मंत्री डॉ लुइस मरांडी, झारखण्ड भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष सह बोरियो के विधायक श्री ताला मरांडी और TAC सदस्यों का पुतला फुका गया और मोड़े मंझी बैसी ने मांग किया कि स्थानीय निति में संशोधन किया जाय और 1932 खतियान को ही आधार मानकर झारखण्ड के स्थानीय निवासी को परिभाषित किया जाय और जब तब यह संशोधन नहीं हो जाता तब तक सभी सरकारी नियुक्ति स्थगित किया जाय.

अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर आन्दोलन के लिय विवश होगे.सरकार और TAC SPT,CNT एक्ट का छेड़-छाड़ नही करे.मोड़े मंझी बैसी ने यह भी कहा अगर जरुरत पड़े तो जेल भरो आन्दोलन भी किया जायेगा.मोड़े मंझी बैसी में ग्रामीणों और प्रधानों ने सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि जो राजनितिक दल या नेता 1932 खतियान को झारखण्ड का स्थानीयता का आधार का समर्थन नहीं करेगे और ग्रामीण स्तर तक आन्दोलन नहीं करेगा उस नेता और उस पार्टी का सामाजिक और राजनितिक बहिष्कार किया जाएगा .इसके साथ मोड़े मंझी बैसी में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार के इस काला स्थानीयता निति से मूलवासी को होने वाली हानि से सभी गांव के ग्रामीणों को अवगत कराया जायेगा.

दिल्ली

भीम यात्रा : रोम के गुलामों की तरह निचोड़ा जा रहा है सफाई कर्मचारियों का खून

125 दिनों में देश के 5 राज्यों के 30 जिलों से होते हुए भीम यात्रा 12 अप्रैल को दिल्ली पहुंची। सफाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा शुरु की गई यह यात्रा देश भर में सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों के विरोध में निकाली गई। यात्रा की सरकार से मांग है कि सूखे शौचालयों, सीवर और सेप्टिक टैंकों की मनुष्यों द्वारा सफाई बंद करवाई जाए। सर पर मैला ढोने वाली आबादी दलित है। 27 मार्च 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले में सर पर मैला ढोने की प्रथा को अवैध करार दिया गया था किंतु सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार इस निर्णय के बाद से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंकों में करीब 1327 मौतें हो चुकी हैं। इस यात्रा की शुरुआत 10 दिसंबर 2015, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन दिल्ली से हुई थी और इसका समापन 13 अप्रैल 2016 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ। सफाई कर्मचारियों की पीड़ा को उजागर करता 15 अप्रैल 2014 (स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर) को प्रकाशित कानपुर शहर के सफाई कर्मचारियों का पर्चा;

हेल्थ मैनुअल के अनुसार दस हजार की आबादी में 28 सफाई कर्मचारी नियमित सेवा में होने चाहिये। मौजूदा समय में कानपुर की आबादी 50 लाख से भी ऊपर है। आबादी के अनुसार कानपुर शहर में वर्तमान में 14,000 सफाई कर्मचारी होने चाहिये पर हैं मार्च 2800 नियमित कर्मचारी, 1800 संविदा (चयनित) 815 (अचयनित) तथा 315 सीवर सफाई कर्मी कार्यरत हैं। शहर कानपुर में लगभग 9000 नियमित सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसलिये शहर की गंदगी के लिये दोषी विभाग तथ शासन प्रशासन है ना कि सफाई कर्मचारी। यदि शहर को साफ-सुथरा, प्रदूषण मुक्त, कूड़े के ढेर, बजबजाती नालियों से मुक्त रखना है तो सफाई कर्मियों की भर्ती की मांग शहर वासियों को जोर-शोर से उठानी चाहिये। मात्र 5730 सफाई कर्मियों से 14000 कर्मचारियों का काम लिया जाना भयंकर शोषण का प्रतीक है।

जबकि यह कानून है कि नियमित सेवा का कार्य संविदा अथवा ठेका कर्मियों से नहीं लिया जा सकता। नगर निगम के आय के समस्त स्रोत सफाई व्यवस्था पर आधारित हैं। इसलिये जनता का अधिकार है कि उसे सफाई व्यवस्था नियमित मिलनी चाहिये। पर ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। अधिकारी, ठेकेदार बढ़ते जा रहे हैं, कूड़े अड्डे खत्म होते जा रहे हैं, नालियां तथा जालियां अवैध कब्जा कर पाटी जा रही हैं। रोम के गुलामों की तरह सफाई कर्मचारियों का खून निचोड़ा जा रहा है। जबरिया उनके अद्धे नागे लगा उनका वेतन काटा जा रहा है । उस कटौती का कोई हिसाब-किताब नहीं है। उनके फण्ड में भी धांधली हो रही है। उन्हें C.L.. E.L तथा M.L. छुट्टियों के साथ ही साप्ताहिक रेस्ट भी नहीं मिल रहे हैं। वो कभी अपने हक अन्याय की आवाज न उठा सकें। इसलिये उन्हें जानवर की तरह रौंधा जा रहा है। गुलामी का जुआ बैलें की तरह जबरिया उनके गंधों पर लादा जा रहा है। भूसे से तेल निचोड़ा जा रहा है। पूरा शहर साफ कैसे रह सकता, जब पूरे कर्मचारी ही नहीं हैं। दो-तिहाई शहर तो गंदा ही बना रहेगा। आओ उनके बारे में सोचें जो आजादी के बाद भी आज तलक गुलाम हैं।

श्री श्री यमुना विवाद : नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूलन के इतिहास में ऐसी दबंगई पहली बार

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूलन (एनजीटी) के आदेश की अवमानना करना इस देश में कोई नई परिघटना नहीं है। अब तक न जाने कितने शासन-प्रशासन से लेकर निजी कंपनियों के उदाहरण हैं जहां एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की गई है या फिर उनके पालन में कोताही बरती गई है। किंतु मार्च 2016 में श्री श्री रविशंकर द्वारा किए गए विश्व सांस्कृतिक उत्सव ने सारी हदें तोड़ दीं। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूलन के इतिहास में चोरी और सीनाजोरी की ऐसी दबंग मिसाल शायद ही कोई और हो। श्री श्री रविशंकर शायद पहले ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने आदेश की अवमानना किए जाने पर एनजीटी के दण्डित किए जाने की शक्ति को भी चुनौती दे डाली। श्री श्री रविशंकर के फाउंडेशन पर एनजीटी ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था जिसका 25 लाख जमा करके बाकी राशि को कार्यक्रम के बाद जमा करने का फाउंडेशन ने वायदा किया था। 25 मई को हुई सुनवाई में एनजीटी द्वारा बाकी राशि के संबंध में पूछताछ पर फाउंडेशन ने बैंक गारंटी के रूप में जुर्माना अदा करने की बात की जिसको न केवल एनजीटी ने नामंजूर कर दिया बल्कि ऐसे अप्रामाणिक आवेदन के उपर भी 5000 रु. का जुर्माना लगा दिया। एनजीटी के इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए फाउंडेशन ने उसे सर्वोच्च न्यायलय में चुनौती देने की बात कही है। पेश है श्री श्री रविशंकर की दबंगई पर अरुण तिवारी का यह महत्वपूर्ण आलेख;

विश्व सांस्कृतिक उत्सव (11-13 मार्च, 2016) के आयोजक ने की है। हालांकि हरित पंचाट ने यह स्पष्ट किया कि आदेश की अवमानना होने पर दण्डित करने के हरित पंचाट को भी वही अधिकार प्राप्त हैं, जैसे किसी दूसरे सिविल कोर्ट हो, किंतु चुनौती देकर आयोजक के वकील ने यह संदेश देने की कोशिश तो की ही कि वह आदेश की अवमानना करे भी तो हरित पंचाट उसका कुछ नहीं बिगाड सकता।

हरित पंचाट के इतिहास में यह पहला ऐसा मामला है। ढाई महीने ने बाद इसने मुझे फिर मजबूर किया है कि मैं यमुना नदी पर विश्व सांस्कृतिक उत्सव के आयोजक की कारगुजारियां फिर पाठकों के सामने रखूं।

आर्ट ऑफ लिविंग प्रमुख श्री श्री रविशंकर जी की अगुवई में दिल्ली की यमुना पर हुए विश्व सांस्कृतिक उत्सव की याद आपको होगी ही। उत्सव के स्थान चयन और उससे यमुना नदी पारिस्थितिकी को हुए नुकसान पर यमुना जिये अभियान के मनोज मिश्र द्वारा मामले को हरित पंचाट में ले जाने की याद भी आपको होगी। 'व्यक्ति विकास केन्द्र', आर्ट ऑफ लिविंग फाउण्डेशन की सहयोगी संस्था है। विश्व सांस्कृतिक उत्सव के लिए यमुना भूमि का उपयोग करने की अनुमति का आवेदन 'व्यक्ति विकास केन्द्र'

ने किया था। इस नाते वही उत्सव का औपचारिक आयोजक 'व्यक्ति विकास केन्द्र' ही था।

तीन आदेश

याद कीजिए कि विश्व सांस्कृतिक उत्सव मामले में राष्ट्रीय हरित पंचाट ने नौ मार्च, 2016 को एक आदेश जारी किया था। आदेश में अन्य के अलावा तीन बातें मुख्य थी :

पहला, हरित पंचाट ने हुए परिस्थितिकीय नुकसान के लिए आयोजक और उसे आयोजन की अनुमति देने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण..दोनो को दोषी माना था। कहा था कि आयोजक, आयोजन शुरु होने से पहले यानी 11 मार्च, 2016 की शाम से पहले पांच करोड की राशि रुपये दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जमा करे। हरित पंचाट ने यह राशि, यमुना को

हुए पारिस्थितिकीय नुकसान की भरपाई की अग्रिम राशि के तौर तय की थी।

दूसरा, हरित पंचाट की प्रधान समिति आयोजन के मौके का मुआइना कर चार सप्ताह के भीतर कुल नुकसान के आर्थिक आकलन की रिपोर्ट पंचाट के समक्ष पेश करे। इस पर पंचाट तय करेगा कि उसमें से कितना भुगतान उत्सव के आयोजक को करना है और कितना दिल्ली विकास प्राधिकरण को।

तीसरे तथ्य के तौर पर पंचाट पीठ ने कहा था कि नदी शुद्धिकरण के लिए लाये गये एंजाइम की कोई प्रमाणिकता नहीं है, लिहाजा उसे यमुना में न डाला जाये।

तीन अवमानना

यह सीनाजोरी नहीं, तो और क्या है कि आयोजकों ने सुनिश्चित किया कि उक्त तीनों मुख्य आदेशों की पालना न होने पाये। जानिए कि कैसे ?

- कार्यक्रम संपन्न होते ही आयोजकों ने एंजाइम के ड्रम वहीं यमुना में उडेल दिए। मीडिया में उसकी तसवीरें छपी।
- आयोजक-व्यक्ति विकास केन्द्र ने कहा कि उसके पास इतनी बडी धनराशि नकद नहीं है। उसने आयोजन से पूर्व तय पांच करोङ में से मात्र 25 लाख रुपये जमा किए और शेष को जमा करने के लिए वक्त मांगा। पंचाट ने तीन सप्ताह का और वक्त दिया और आयोजक ने ऐसा करने का स्वीकारनामा दिया, किंतु समय समाप्ति की अंतिम तारीख (एक अप्रैल, 2016) को वह पलट गया। एक अप्रैल को पंचाट को दिए आवेदन में आयोजक ने कहा कि नकद की जगह उसे 4.75 करोङ बैंक गारंटी जमा करने की अनुमति दी जाये। पंचाट ने इससे इंकार किया। इस इंकार को भी लगभग दो महीने होने को हैं, किंतु विश्व सांस्कृतिक उत्सव के आयोजक ने अभी तक एक धेला नहीं जमा किया है।यह हरित पंचाट के आदेश की अवमानना है। आयोजक द्वारा आदेश की अवनमानना को लेकर याची ने पंचाट में दो शिकायतें दर्ज की। आयोजक ने कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया। वकील ने टालू रवैया अपनाया। उसने कहा कि दो शिकायतों में एक का जवाब तैयार है; एक का अभी तैयार करना है।

गौर कीजिए कि प्रतिक्रिया में हरित पंचाट ने कहा जरूर कि 'अपनी बैंक गारंटी अपने पास रखो'; 25 मई की सुनवाई के बाद उसने तीन दिन के भीतर जवाब जमा करने को भी कहा; लेकिन मालूम नहीं किस दबाव में पंचाट अपनी अवमाना सहती रही ? पंचाट की इस सहनशक्ति को उसकी कमजोरी समझ कर ही आयोजक के वकील ने हरित पंचाट पीठ से सवाल किया कि क्या उसके आदेश की आवमानना पर कार्रवाई करने का उसे कोई अधिकार है ?

31 मई का समाचार है कि हरित पंचाट ने बैंक गारंटी तथा जगह को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की अनुमति आयोजक को देने से पुनः इंकार कर दिया है। बैंक गारंटी की अनुमति की अर्जी देने की एवज में रुपये पांच हजार का जुर्माना लगाया है और एक सप्ताह के भीतर अग्रिम मुआवजा राशि का बकाया जमा करने को कहा है।

उत्तराखण्ड की कोसी नदी में गंदगी निपटान की कार्ययोजना नहीं सौंपे जाने से नाराज राष्ट्रीय हरित पंचाट के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र कुमार की पीठ ने एक बयान दिया - '' पंचाट के आदेशों को क्रियान्वित करना पर्यावरण न्याय का तत्व है और लोग, खासकर अधिकारी, जो निर्देशों का पालन नहीं करत, वे न सिर्फ अवज्ञा के जिम्मेदार है, बल्कि प्रदूषण करने और क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी की गिरावट के लिए भी जिम्मेदार हैं।'' यह बयान एक आईना जरूर है, लेकिन आदेश की अवमानना करने वाले यदि अवमानना को दंडित करने की शक्ति को ही चुनौती देने लग जायें, तो यह आईना कितना कारगर होगा ? स्वयं

पंचाट के लिए विचारणीय प्रश्न आज यही है।

- नौ मार्च के आदेश के अनुसार, हरित पंचाट की प्रधान समिति को आयोजन से चार सप्ताह के भीतर उत्सव से यमुना की परिस्थितिकी को हुए नुकसान का आकलन पेश करना था। एक अपैल, 2016 को दिए आवेदन में आयोजक ने पंचाट से अनुरोध किया नुकसान का आकलन करने वाली समिति का सहयोग करने की उसे भी अनुमति दी जाये। उसके बाद आयोजक द्वारा पंचाट की प्रधान समिति को यह कहकर मौका मुआइना करने से रोका गया कि उसने आयोजन स्थल को अधिकारिक तौर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को नहीं सौंपा है। आयोजक के वकील ने अपने ताजा बयान में कहा है कि उन्होने यमुना का कोई नुकसान नहीं किया। उलटा उन्होने तो ज़मीन को पहले से बेहतर स्थिति में
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति विकास केन्द्र को दिए अनुमति पत्र के अनुसार भूमि का आवंटन किया गया है। यह आंवटन कितनी अवधि का है ? इसकी अस्पष्टता में आयोजन के ढाई महीने बाद भी आयोजन स्थल को औपचारिक तौर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपने का पेच छिपा है। यदि जमीन अब तक नहीं लौटाई, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई क्यों नहीं की ? वह क्यों चुप रहा ? क्या इसमें उसकी भी कुछ शह है ? क्या वह आगे चलकर रखरखाव के नाम पर वह यह ज़मीन लंबी लीज अवधि के लिए आयोजक को आवंटित करने के फेर में है ? आयोजक ने अदालत से जमीन को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की अनुमति चाही थी। आगे वह उसके रखरखाव की जिम्मेदारी लेने के नाम पर अपना कब्जा बनाये रखने की जुगत लगाती। आयोजक का व्यवहार हरित पंचाट को विश्वसनीय नहीं लगा। उसने मना कर दिखा।

जमीन न लौटाने के पीछे पेच यह भी हो सकता है कि बारिश आने के बाद नुकसान का सही आकलन करना मुश्किल हो जायेगा। गर्मी में छुटिट्यां हो जायेंगी। मामला अगस्त तक खिसक जायेगा। सत्य आगे पता चलेगा। 25 मई की आदेशानुसार, फिलहाल हरित पंचाट ने भारत सरकार के जलसंसाधन सचिव श्री शशिशेखर की अध्यक्षता वाली अपनी प्रधान समिति को कहा है कि वह अगले दो सप्ताह के भीतर (सात जून, 2016) यमुना पारिस्थितिकी को हुए नुकसान की आर्थिक आकलन रिपोर्ट जमा करे। गर्मी की छुट्टियों में पंचाट बंद रहता है; लिहाजा, सुनवाई की अगली तारीख चार जुलाई, 2016 तय की गई है।

नकदी चुकाने में अक्षमता के सच की जांच

इस प्रकरण का सबसे बडा सच वह झूठ है, जो आयोजक ने इतनी बडी रकम नकद देने में असमर्थता के रूप में हरित पंचाट के समक्ष रखा। 'द कारवां' द्वारा की गई एक जांच इस झूठ का सच सामने रखती है।

आर्ट ऑफ लिविंग फाउण्डेशन, दुनिया के 155 देशों में अपनी शाखायें बताता है। 'द कारवां' के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका, यू के और नीदरलैंड...इन तीन देशों में ही श्री श्री की प्रमुखता में 234 करोङ रुपये की संपत्ति तथा 81 करोङ रुपये आय का पता चला है। आय के मुख्य स्त्रोत क्रमशः पाठ्यक्रम व आयोजनों में ली जाने वाली फीस तथा नकदी व गैर नकदी रूप में प्राप्त सहयोग राशि दर्शाई गई है। 'द कारवां' की उक्त रिपोर्ट आर्ट ऑफ लिविंग (अमेरिका), आर्ट ऑफ लिविंग (यू के), वेद विज्ञान महा विद्यापीठ (अमेरिका), शंकर यूरोप होल्डिंग बी वी (नीदरलैंड), शंकर यूरोप बी वी (नीदरलैंड) तथा आर्ट ऑफ लिविंग हेल्थ एण्ड एजुकेशन ट्रस्ट के वर्ष 2013 अथवा 2014 के खातों पर आधारित हैं।

एक अन्य जानकारी के मुताबिक पिछले नौ वर्षों में आर्ट ऑफ लिविंग के चार प्रमुख ट्रस्टों को 331.55 करोङ रुपये की धनराशि विदेशों से सहयोग के रूप में प्राप्त हुई है। बकौल 'द कारवां', 5.54 करोङ रुपये की विदेशी सहयोग राशि तो श्री श्री से संबद्ध श्री श्री

सम्बद्ध अकेले इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज़ को मार्च 31,2016 की पहली तिमाही में ही प्राप्त हुई .मार्च 31,2016 की पहली तिमाही में ही प्राप्त हुए हैं।

'द कारवां' द्वारा जारी जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि स्विस व्यावसायिक रजिस्ट्रार ने स्विस में श्री श्री रविशंकर से संबद्ध दो संस्थाओं और एक कंपनी के खातों के संबंध में 'द कारवां' का आवेदन स्वीकार नहीं किया। जाहिर है कि जब कभी श्री श्री से संबद्ध समस्त संगठनों/कंपनियों का लेखा-जोखा सामने आयेगा, तो संपत्ति और आय का आंकडा कम नहीं होगा। यह मजहबी आकाओं के व्यावसायीकरण का दौर हैं। इस दौर में श्री श्री समूह की आय का अधिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आय होते हुए भी असमर्थता का रोना रोना पर्यावरणीय न्याय और व्यक्तिगत नैतिकता की दृष्टि से क्या सचमुच अच्छी बात है ?

सीनाजोरी का दूसरा नमूना 'नॉलेज ऑफ टेम्पल'

विश्व सांस्कृतिक उत्सव के आयोजक का यह रवैया स्पष्ट करता है कि पर्यावरण और पर्यावरण को न्याय देने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित पंचाट को लेकर उनकी मंशा क्या है ? आर्ट ऑफ लिविंग की मंशा की स्पष्टता कोलकोता के दलदली क्षेत्र में मनाही के बावजूद बनाई 'टैम्पल ऑफ नॉलेज' नामक 8,000 वर्ग फीट 60 फीट ऊंची नई इमारत से भी स्पष्ट होती है। हालांकि मनाही के बावजूद वहां बनी यह अकेली इमारत नहीं है, लेकिन अपने आकार और पर्यावरण की चिंता करने के श्री श्री के दावे के कारण यह इमारत एक मिसाल जरूर है।

गौर कीजिए कि करीमपुर में यह इमारत आर्ट ऑफ लिविंग से संबद्ध 'वेद धर्म संस्थान ट्रस्ट' की है। इमारत से संबद्ध सदस्य इसे पुराना बताते हैं। स्थानीय जानकारों के मुताबिक इमारत का निर्माण जुलाई-अगस्त, 2015 के मध्य शुरु हुआ। 'कार्बन डेटिंग' की जांच सत्य बताती है। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगस्त और सितम्बर, 2015 में ट्रस्ट को क्रमशः 'कारण बताओ' और फिर 'निर्माण बंद करो' नोटिस भी जारी किए।

स्थानीय पर्यावरण संगठन 'पब्लिक' की बोनानी कक्कड कहती हैं कि निर्माण उसके बावजूद जारी रहा और पूरा हुआ। बोनानी वेटलैंड अथॉरिटी की सदस्य भी हैं; कहती हैं कि वर्ष 1993 में पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के निर्देश तथा वेटलैंड अथॉरिटी की वर्ष 2005 की अधिसूचना के मुताबिक वेटलैंड का न तो भू-उपयोग बदला जा सकता है और न ही उसमें कोई नया निर्माण किया जा सकता है। उन्होने इस आधार पर गत् चार मार्च को अथॉरिटी में 'टैम्पल ऑफ नॉलेज' इमारत का मामला उठाने की कोशिश भी की, लेकिन निर्माण रोकने के लिए अथॉरिटी की पहल नोटिस के आगे नहीं बढ़ी।

यह न्यायप्रियता है या जिद्दप्रियता ?

कारण कुछ भी हो, लेकिन चोरी पर सीनाजोरी के उक्त प्रतिबिम्ब शांति, प्रेम और भारतीय संस्कृति के उस बिम्ब से तो कतई मेल नहीं खाते, जिसके लिए आज तक दुनिया श्री श्री रविशंकर जी और आर्ट ऑफ लिविंग फाउण्डेशन को जानती रही है।

यदि श्री श्री लातूर जाकर एक नदी की पुनर्जीवन के लिए जनता के प्रयास पर अपना नाम लिखाने के लिए एक करोड रुपये का सहयोग दे सकते हैं, तो फिर यमुना को खुद किए नुकसान के लिए पांच करोड क्यों नहीं ?

यह श्री श्री की पर्यावरण न्यायप्रियता है या दिखावप्रियता या फिर जिद्दप्रियता ? पाठक तय करें।

लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ सम्मेलन - 25 जून 2016, नई दिल्ली

25 जून1975 स्वतंत्र भारत के इतिहास पर अंकित एक शर्मनाक धब्बा है। यही वह दिन था जब आपातकाल लगाकर हमारे देश में लोकतंत्र को अधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया गया था।

आज लगभग चार दशक बाद फिर वही दुस्वप्न हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। हमें भगवा रंग में रंगे अच्छे दिनों की वास्तविकता बिल्कुल साफ-साफ दिख रही है। हिंदुत्व के सपने के लिबास में एक उच्च स्तरीय, कॉर्पोरेट हितों को अनुकूल, तकनीकि रूप से उन्नत आपातकाल को हमारे सामने रखा जा रहा है।

पिछले दो सालों में अच्छे दिनों के भ्रामक प्रचार का वीभत्स रूप अब खुलकर हमारे सामने आ रहा है।

- संसद समेत देश भर के स्कूलों, समुदायिक संगठनों और सरकारी संस्थानों में एक ऐसा बहुसंख्यक दृष्टिकोण तेजी से पैर फैला रहा है जिसमें जो ताकतवर है वही सही है और जहां संवाद और वाद-विवाद का स्थान खुशी-खुशी हिंसा को दे दिया गया है। हमारा भारतीयता का एहसास- मान्यताओं, प्रथाओं और परम्पराओं की उच्च विवधताओं पर हमारा गर्व,हमारी विविध धर्मों से बनी संस्कृति और जीवन के तरीके, मतभेदों के प्रति हमारा सम्मान, असहमति, विवाद और बहस के बीच सर्वसम्मति कायम करने की हमारी कला-इन सब पर जालिम ताकतों द्वारा हमला किया जा रहा है।
- शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संस्थानों पर भगवा हमले में तेजी आई है। बगैर किसी बौद्धिक या पेशेवर क्षमता के मात्र हिंदुत्व के एंजेडे के प्रति अपनी वफादारी के दम पर लोगों को विश्वविद्यालय के कुलपति, कला और विज्ञान को प्रोत्साहन देने वाली राष्ट्रीय संस्थाओं के निदेशकों, अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख, पेशेवर तथा तकनीकि निकाय के पीठ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। और फिर इन वैचारिक नेताओं द्वारा वह भगवा दृष्टिकोण- जहां मिथ्य इतिहास का स्थान ले लेता है, आस्था ज्ञान से उपर हो जाती है, अंधविश्वास तार्किकता पर हावी हो जाता है-फैलाया जाता है। इन वैचारिक नेताओं का निर्देशन और निगरानी आरएसएस के मुखिया कर रहे होते हैं।
- लोकतांत्रिक असहमति, अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध के अधिकार पर नृशंस हमले हो रहे हैं और इसेक लिए वैधता का ढोंग करने की भी अब आवश्यकता नहीं रह गई है। चाहे छात्र आंदोलन हो, दलित आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन या फिर प्राकृतिक संसाधनों की हो रही कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ आंदोलन सभी को देश-द्रोही करार कर उनपर हमले किए जा रहे हैं। राष्ट्रभक्ति के पैमाने का पुनर्मूल्यांकन सिर्फ एक ही आधार पर किया जा रहा है जिसके तहत असहमति का मतलब देश से गद्दारी है। भगवा फरमान के प्रति अंधभक्ति और बिना सोचे समझे आधीनता स्वीकार कर लेना ही भारतीयता का सबूत देता है। इससे किसी भी तरह का विचलन कतई बख्शा नहीं जा रहा है।
- विश्व पूंजी का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण पहले से ज्यादा तेज हो गया है। मेक इन इंडिया और स्टैंड अप/ स्टार्ट अप जैसे अर्थहीन नारे, फर्जी गणनाएं, मनगढंत आंकड़े, और प्रधानमंत्री द्वारा खुद अपनी पीठ थपथपाना इस तथ्य को नहीं छुपा सकता है कि मौजूदा सरकार की विकास की अवधारणा के केंद्र में दरअसल कॉर्पोरेट मुनाफा है। अमेरिका समर्थित कॉर्पोरेट के पैरोकार अब खुल्लम-खुल्ला राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को नियंत्रित कर रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों, कृषि संकट, समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन, भुखमरी जैसे लक्षण चरमराती अर्थव्यवस्था को दिखा रहे हैं।
- काले कानून जिन्हें कभी साम्राज्यवादी तथा औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखने के लिए तैयार

किया गया था, को "विकास" के मॉडल की रक्षा में एक बार फिर लागू किया जा रहा है। कश्मीर तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्रों की आम जनता के अभिव्यक्ति तथा अन्य लोकतांत्रिक अधिकारों पर सुनियोजित तरीके से हमला किया जा रहा है। जहां एक तरफ मोदी दुनिया भर के मंचों पर खड़े होकर भारत को विश्व में एकमात्र शांतिपूर्ण क्षेत्र बता अपने मुंह मियां मिठू बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की आम जनता सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही हिंसा के दहशत में जी रही है। इन सशस्त्र बलों को एएफएसपीए द्वारा नागरिकों अधिकारों का बिना किसी भय के खुले तौर पर माखौल बनाने का अधिकार मिला हुआ है। सिर्फ विचारों की अभिव्यक्ति और अधिकारों के दावों को रोकने के लिए हजारों जानें ली जा चुकी हैं, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा चुका है और हजारों युवाओं के साथ जघन्यता बर्ती जा चुकी है।

- आदिवासी समुदाय के साथ तो राज्य के दुश्मन सा व्यवहार किया जा रहा है। एक ऐसी भाषा, जिसमें फासीवादी झलक साफ दिखती है, का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी भूमि को पूरी तरह से कॉर्पोरेट ताकतों को सौंप देने की अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है। कश्मीर और उत्तर-पूर्व में सशस्त्र बलों ने भारी संख्या में बलात्कार तथा लैंगिक उत्पीड़न को अंजाम देकर स्त्री देह को इस युद्ध में एक तरह से जंग का मैदान बना दिया है। आदिवासी समुदायों,राजनीतिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर भारी संख्या में माओवादी समर्थक होने का लेबल लगाकर, लैंगिक हिंसा, एनकाउंटर के नाम पर की गई अवैध हत्याओं, मनमाने ढ़ंग से गिरफ्तारियों, धमकियों को जायज ठहराया जा रहा है। जो कोई भी इस जघन्य वास्तविकता का पर्दाफाश करने की कोशिश करता है उसे इन तरीकों से चुप करवा दिया जाता है।
- महिलाओं के प्रति हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई है खासकर उन महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न की बहु प्रणालियों के अंतःबिंदु पर स्थित हैं। दलित और आदिवासी महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं, गैर-विषमलैंगिक महिलाएं, अपंग महिलाएं, कश्मीर और पूर्वोत्तर की महिलाएं, प्रवासी महिलाएं, अफ्रीकी महिलाएं, समलैंगिक लोग, जातिवाद का विरोध कर रही महिलाएं – इन सभी को एक सामान्य सी वजह के लिए हिंसा के वैध निशाने के रूप में खुलेआम घोषित किया जा चुका है वह हैः इन सभी का शरीर और उनकी पहचान हिंदुत्व के खाके के लिए एक जीवंत चुनौती है।
- किसी भी कीमत पर कुचल देने या चुप करा देने की रणनीति सामाजिक संस्थाओं पर भी लागू की जा रही है। एफसीआरए को हथियार बनाकर उन सभी संगठनों को चुप कराने और नियंत्रण करने की

कोशिश की जा रही है जो लोकतंत्र के पक्ष में बोलते हैं, या फिर किसी भी सरकारी लाइन या किसी और अन्य मुद्दे पर विपरीत पक्ष रखते हैं।

- यह मात्र कुछ उदाहरण हैं उस घिनौनी सच्चाई की जिसे अर्थहीन नारों, इतिहास को फिर से लिखने के बेढंगे प्रयासों, नव-निर्मित राष्ट्रीय परंपराओं के बॉलीवुड की हस्तियों से प्रेरणा और झूठी सफलता कथाओं के माध्यम से लाख ढंकने की कोशिश के बावजूद हमें अपने चारों तरफ दिख जाती है।

इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता है कि 2016 का यह आपातकाल दिवस न केवल एक दूसरे आपातकाल के सिरे पर स्थित है बल्कि यह आपातकाल धीरे-धीरे लागू भी होने लगा है।

किंतु दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपातकाल का यह दिन लोकतंत्र का भी दिन है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि1975 में आपातकाल का लगना वह ऐतिहासिक क्षण था जिसने विरोध और प्रतिरोध की एक पूरी लहर को पैदा किया और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रतिरोध को कुचल देने वाले हर प्रयास - संवैधानिक अधिकारों का निलंबन, नेताओं की गिरफ्तारियां, निहत्थी जनता के विरुद्ध सशस्त्र बल का प्रयोग, मीडिया ब्लैकआउट – विरोध के स्वर को दबा पाने या जन प्रतिरोध की ताकत को कुचल पाने में असफल रहे। हमें नहीं भूलना चाहिए आपातकाल के विरुद्ध हुए इस संघर्ष ने
जनांदोलनों, छात्रों, मजदूरों, किसानों, बुद्धिजीवीयों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एक नई एकजुटता कायम की जिसने लोकतांत्रिक अवसरों को हासिल किया और नए संघर्षों की बुनियाद कायम की।

साथियों, अब समय आ गया है हम सब इस आपातकाल को खत्म करने के विरुद्ध चल रहे संघर्ष के साथ जुड़े। आइए हम फिर से अपनी एकजुटता को सुनिश्चित करें, अपने गठजोड़ों को पुनः मजबूत करें और अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर फिर से दावा करें।

मोदी का कार्पोरेट्स को एक और तोहफा : राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति को मंजूरी, आदिवासियों को नई मुसीबत

मोदी सरकार ने 29 जून को सातवे वेतन आयोग की अनुशंसा को अपनाने के साथ साथ बड़ी चतुराई से राष्ट्रीय खनिज एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को हरी झण्डी दे दी । इसके तहत निजी संस्थाओ को खनिज सम्पदा का खजाना ढूंढने के लिए सरकार ने अनेक रियायतें देने का प्रावधान है जिसमे खनिज से मिलने वाले राजस्व में सम्बंधित कम्पनी को भी एक हिस्सा दिया जायेगा ।
सरकारी अधिकारियो का मानना है कि इस नीति की वजह से देश के 100 से अधिक ब्लाक में खनिज उत्खनन का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा ।
भारतीय खनिज सर्वेक्षण विभाग का कहना है की खनन योग्य क्षेत्रो के सिर्फ 10% हिस्सों में ही मात्र 1.5 से 2 % खनिज ही निकाली जा रही है ।
इस नीति से खनिज सम्पदा पर कार्पोरेट्स का कब्जा और बढ़ जायेगा । मोदी सरकार ने फिर अपने कार्पोरेट्स के दलाल होने का नया प्रमाण दिया है ।
जाहिर है सदियो से खनिज सम्पदा को सहेजकर रखने वाले आदिवासी, स्थानीय निवासी से हमेशा की तरह विस्थापित कर दिये जायेंगे ।
बस्तर में माओवाद के नाम पर चल रहा आदिवासी उन्मूलन अभियान इस पालिसी के चलते अब और गति पकड़ेगा।
हो सकता है यह खबर अख़बार के किसी कोने में छपे ! तो साथियो सावधान .

मध्य प्रदेश

हिंदुस्तान पॉवर प्लांट के बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत, दो दर्जन से ज्यादा घायल : शुरू हुआ लीपापोती का खेल !

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला मुख्यालय से पन्द्रह कि.मी .दूरी पर स्थित हिन्दुस्तान पावर प्राइवेट लि) .एम.बी.पावर (जैतहरी के यूनिट प्लांट क्र 2 .में कोयले का बायलर फटने से वहां कार्यरत प्रफुल्ल कुमार की मौत हो गई, वहीँ दो दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। ज्ञात रहे यह वही प्लांट है जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन 2012 से संघर्षरत है। अभी भी लगभग 50 लोगो के उपर मुकदमे चल रहें है। जबलपुर उच्च न्यायालय में मुआवजा एवं पुर्नवास को लेकर केस चल रहे है। परन्तु न्यायालय से अभी तक कोई राहत नही मिल पाया है। पेश है राजकुमार सिन्हा, मुन्ना बर्मन की रिपोर्ट;

मध्य प्रदेश का अनुपपुर जिला पुर्णतः पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आता है। जिसमें अनुपपुर, पुष्पराजगढ, कोतमा एवं जैतहरी तहसील है। अनुपपुर एवं कोतमा तहसील में लगभग 10 कोलमाइंस है। अनुपपुर जिले में न्यूजोन इन्डिया, बेल्सपन एनर्जी तथा प्रकश इंडस्ट्रीज द्वारा सभी का 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनना प्रस्तावित है। जैतहरी तहसील में हिन्दुस्तान पावर प्लांट (मोजर बेयर) का 2520 मेगावाट का पावर प्लांट बनना है, जिसमें एक साल पहले 600 मेगावाट की पहली इकाई प्रारंभ हुआ था, तथा दूसरी 600 मेगावाट की इकाई कुछ दिन पहले प्रारंभ की गई। इस थर्मल पावर प्लांट के पानी व्यवस्था हेतु सोन नदी पर बराज (बांध) कम्पनी द्वारा बनाकर लगभग 9 किलोमीटर से पानी लाया जाता है। 1320 मेगावाट क्षमता बढाने हेतु निर्माण कार्य जारी है। कुछ दिन पहले प्रारंभ हुए 600 मेगावाट की दूसरी इकाई के बायलर दिनांक 16 मई 2016 को रात्रि 8.40 बजे तेज धमाके के साथ फटा। घटना के बाद प्रबंधन ने प्लांट को बंदकर सभी का आवागमन रोक दिया। मीडिया तथा स्थानीय कर्मचारियो के अनुसार घटना स्थल पर 3 लोगों की मौत एवं 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रुप से घायल होने की बात कही जा रही है। हिन्दुस्तान पावर प्राइवेट लिमिटेड (एम.बी.पावर) जैतहरी के यूनिट प्लांट क्रमांक 2 में कोयले के बायलर की सफाई के दौरान अचानक विस्फोट हो गया। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सफाई से पहले प्लांट बंद न करने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे के बाद पूरे जैतहरी में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, क्योकि प्रशासन को अंदेषा था कि स्थानीय निवासी की मृत्यु के कारण हंगामा होगा। परंतु सभी मृत एवं घायल अधिकारी एवं कर्मचारी बाहर के थे इसलिए किसी तरह का स्थानिय समुदाय द्वारा हंगामा नही किया गया।

प्रबंधन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती के अनुसार उपमहाप्रबंधक प्रफुल्ल झा कि मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 11 घायलों (7वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारी एवं 4 कामगार) का इलाज बिलासपुर, रायपुर एवं दिल्ली में चल रहा है। दिनांक 18 मई 2016 को अपोलो हास्पिटल, बिलासपुर में इलाजरत महाप्रबंधक संदीप सुगंधी की मौत हो गई जबकि 6 लोगो की हालत नाजुक बनी हुइ है। पुलिस ने कम्पनी के हेड इंचार्ज राजेन्द्र कुमार आनंद, महाप्रबंधक संदीप सुगंधी, उपाध्यक्ष डी.पी. सिंह, उपमहाप्रबंधक प्रफुल्ल झा, सेफटी इंचार्ज पी.के. सिंह, मैनेजर एवं ऑपरेशन हेड मुक्ती नाथ सिंह, घटना के वक्त बायलर क्रमांक 2 के इंचार्ज विजय राउत, बायलर निरीक्षक पी.ए. पटेल, घटना के समय के शिफ्ट इंचार्ज एस. के . प्रसाद एवं कम्पनी के अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्व थाना जैतहरी में अपराध क्रमांक 139/ 2016 में इन लोगो खिलाफ मर्ग की प्राथमिक जांच उपरान्त धारा 287, 337, 338, 304।, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबंद्व कर विवेचना में लिया है। ऐसे समय में एक उच्च स्तरीय जांच दल भेजकर घटना की जांच तथा विस्थापित किसानों की स्थिति पर एक अपनी रिपोर्ट सरकार, मीडिया एवं स्वतंत्र नागरिक समूह के सामने प्रस्तुत कर कम्पनी के उपर दबाब बनाने की जरुरत है।

बफर जोन के नाम पर आदिवासियों का जल-जंगल-जमीन छीनने का अधिकार किसी को नहीं : डॉ. सुनीलम

पाथरी, 6 जून 2016 : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ ब्लाक के ग्राम पाथरी में मछुआरा संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 4-6 जून 2016 तक चले इस तीन दिवसीय शिविर में आस-पास के दर्जनों गांवों के मछुआरा समुदाय तथा बफर जोन से प्रभावित किसानों तथा आदिवासियों ने भाग लिया। शिविर में मौजूदा विकास की अवधारणा तथा उससे प्रभावित हो रहे किसानों, आदिवासियों तथा मछुआरा समुदाय के लोगों के अधिकारों के संदर्भ में बात-चीत की गई।

शिविर के अंतिम दिन 6 जून 2016 को शिविर के समापन समारोह में किसान संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष तथा जनादोंलनों के राष्ट्रीय समन्वय के राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व विधायक, डा. सुनीलम, बालाघाट से आए सामाजिक कार्यकर्ता नागेश्वर तथा नागपुर में कोयला खदान मजदूर यूनियन के नेता दीपक चौधरी, छिंदवाड़ा की पहली महिला अधिवक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट आराधना भार्गव, अन्य जनादोलनों के कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की।

समारोह के दौरान बोलते हुए पाथरी गांव के निवासी सुरेश सलामे ने शिविर के दो दिनों में हुई बात-चीत पर रोशनी डालते हुए कहा कि सरकार बांधों तथा बफर जोन के नाम पर हमसे हमारी जमीनें जबरन छीन रही है। हमसे हमारे वन और लकड़ी के साथ-साथ रोजगार का अधिकार भी छीन कर उसे शक्तिशाली लोगों को सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने उपर हो रहे इस अत्याचार का एकजुटता के साथ मुकाबला करेंगे।

तोतलाडोह बांध से विस्थापित होकर पुलपुलडोह में आकर बसे मछुआरा समुदाय से आईं इंदिरा कहार ने बताया कि बांध में तीन मछुआरों को वनाधिकारी मार चुके हैं। हमें भी वहां पर रोजगार नहीं करने दिया जाता है जबकि इन जंगलों को हमारे ही पूर्वजों ने सहेज कर रखा है।

पोनिया गांव के मछुआरा समुदाय से तथा मछुआरा संघर्ष समिति के युवा कार्यकर्ता मंशा राम ने सभा में आए लोगों से कहा कि यदि हमें अपनी जमीनों को बचाना है तो हमें एकजुट होकर अपनी मांगों को उठाना होगा और हर गांव में संगठन को मजबूत करना होगा।

बालाघाट के सामाजिक कार्यकर्ता नागेश्वर जी ने कहा कि हमारी तथाकथित लोकतांत्रिक सरकार इस देश की जनता से उसका संवैधानिक रोजगार का अधिकार छीन रही है। बफर जोन के संबंध में बात करते हुए नागेश्वर ने कहा कि सरकार बफर जोन के जरिए गांववालों से उनकी जमीनें छीनने का साजिश रच रही है। बालाघाट में 47 गांवों के विस्थापित आदिवासियों के लिए विस्थापन के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने बताया कि सरकार मुआवजे के झूठे आश्वासन देती है। जो थोड़ा बहुत मुआवजा आता भी है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उन्होंने सभा में उपस्थित बफर जोन से प्रभावित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हमनें अपनी जमीनें छोड़ दीं तो हम दुबारा पुनर्स्थापित नहीं हो पाएंगे।

कोयला खदान मजदूर यूनियन के नेता दीपक चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के मुनाफे के लिए काम कर रही है और इसकी भेंट चढ़ रही है इस इलाके की आम जनता। उन्होंने कहा कि हमें झूठे आश्वासनों में फंसने के बजाए संगठन बनाकर अपनी समस्याओं का हल निकालना होगा।

दिल्ली से आए संघर्ष संवाद के संपादक जितेंद्र चाहर ने देश भर में चल रहे विस्थापन और भूमि अधिकार के लिए आंदोलनों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में बॉक्साइट के खनन के लिए राष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लोगों को उनके जल-जंगल-जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। किंतु सभी जगहों पर किसान-मजदूर-आदिवासी इनके खिलाफ न केवल संघर्ष कर रहे हैं बल्कि अपने

अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे इन आंदोलनों को जीत भी रहे हैं। नियामगिरी, पॉस्को तथा प्राचीमाढ़ा के ग्रामवासियों की जीत के संबंध में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। एडवोकेट आराधना भार्गव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सदियों से नदी और मछली पर मछुआरों का अधिकार रहा है किंतु कॉर्पोरेट समर्थक सरकारों ने मछुआरों को पानी और मछली से अलग कर दिया है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने तोतलाढोह बांध के 325 परिवारों को बांध में मछली पकड़ने का अधिकार दिया किंतु प्रशासन ने मछुआरों को जबरन अलग-अलग मुआवजा देकर सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश की अवहेलना की जो कि सरासर गैर-कानूनी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे इलाके में कुल 407 तलाब हैं जिन पर मछली मारने का असली हक इस क्षेत्र के मछुआरों का है न कि बाहरी ठेकेदारों का। मछुआरा संघर्ष समिति इन जलाशयों को ठेकेदारों से मुक्त करवाकर मछुआरों को सौंपेगी। उन्होंने बफर जोन के संदर्भ में बात रखते हुए कहा कि पेंच नेशनल पार्क देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है जिसे मध्य प्रदेश सरकार अंबानी को बेचने की कोशिश कर रही है। यहां से लोगों को विस्थापित कर अंबानी को मुनाफा कमाने के लिए जगह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें मछुआरा संघर्ष समिति और किसान संघर्ष समिति को मजबूत कर अपनी लड़ाई को मुक्कमल करना होगा। शिविर का समापन करते हुए डा. सुनीलम ने कहा कि जिस जंगल का मालिक आदिवासी था जो भारत का मूल निवासी है आज उस जंगल पर शासन का कब्जा हो गया है और आदिवासियों को उन्हीं के जंगलमें तथाकथित चोर बना दिया गया है। सभी सरकारें संसाधनों को लूटकर पूंजीपतियों के हवाले कर रही हैं। आज जहां एक तरफ जनता तबाही बर्बादी का शिकार हो रही है वहीं पूंजीपतियों के हाथ में संपदा केंद्रित होती जा रही है। डॉ. सुनीलम ने इस बात पर जोर दिया कि इस देश की संपदा 125 करोड़ लोगों के बीच बंटनी चाहिए। हाल ही में सूखाग्रस्त इलाकों में की गई अपनी पदयात्रा के अनुभव को बांटते हुए उन्होंने बताया कि लातूर और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में एक महीने में एक बार ग्रामवासियों को पानी मिल रहा है तथा पशु बिना पानी के मर रहे हैं और सरकारें सर्वोच्च न्यायलय के निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। आम जनता के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे भेद-भाव पर रोशनी डालते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी का न्यूनतम वेतन प्रतिदिन 1000 रु. है जबकि मनरेगा के एक मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी 168 रु. है जो कि कभी पूरी नहीं मिलती है। समर्थन मूल्य तय करते समय किसानों की प्रतिदिन की मजदूरी मूल्य आयोग 60 रु. प्रतिदिन लगा रहा है। किसानों-मजदूरों के श्रम की इसी लूट के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस देश की समस्त संपदा के हम बराबर के अधिकारी हैं और इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे।

सभा में ग्रामवासियों ने अपने गांव में संघर्ष समिति का गठन किया तथा बफर जोन के सभी गांवों में समितियां गठित कर अक्टूबर माह में किसान-मजदूर-आदिवासी जन सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

नर्मदा जल जमीन हक सत्याग्रह : 30 जुलाई 2016 से राजघाट, बडवानी, मध्य प्रदेश

13 जुलाई से 15 जुलाई तक नर्मदा परिक्रमा
21 से 23 जुलाई तक : नर्मदा किनारे वाहन यात्रा

नर्मदा घाटी दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति, अब विनाश की कगार पर धकेली जा रही है। 30 बड़े और 135 मझौले बांधों से यह मातेसरी नदी, तालाबों में परिवर्तित होगी। हर बांध से उजड रहे लाखों लोगों के साथ यहां की अति उपजाऊ खेती, फलोदयान, जंगल और हर गांव के हजारो पेड, मंदिर, मस्जिदे, पाठशालाएं, यहां की कारिगरी,व्यापार..... सब कुछ मर मिट जायेगा। कई बांध बने, गांव उजड गए, हरसूद जैसा शहर उखाडा, उध्वस्त किया गया, तो आज तक बसाए नही गए लोग.... हजारों पुनर्वसित नही हुए। सरदार सरोवर बांध का कार्य भी अब पूरा कर दिया है मोदी सरकार ने । गेट्स लगाकर बांध की उंचाई 138.68 मीटर्स तक पहुंचाई गयी है । बस गेट्स लगाना बाकी है। करीबन 50000 परिवारों का पुनर्वास पूरा न होते हुए; हजारों को जमीन, हजारों भूमीहीनों को वैकल्पिक आजीविका सभी सुविधाए सिंचाई एवं घर प्लॉट के साथ पुनर्वास स्थल प्राप्त हुए बिना, घर, खेत-खलिहान, 244 गाव और एक धरमपुरी नगर डूबोना क्या न्याय है? क्या इसे विकास के नामपर भी मंजूर किया जा सकता है? नहीं।

यह गैरकानूनी डूब थोपने का निर्णय व कार्य नयी केंद्र शासनने,सत्तापर आतेही किया और ३१ सालोंके कानूनी,मैदानी संघर्ष के दरम्यान जो प्रगतिशील पुनर्वास नीति और योजना बनायी, जो सर्वोच्च अदालत से फैसले पाये, उनको नकार कर बांधको आगे बढाया। 14000 परिवारों को गुजरात और महाराष्ट्र में पुनर्वास प्राप्त हुआ लेकिन म.प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के पहाडी आदिवासी क्षेत्र के आज भी करीबन 1500 परिवार बाकी है तो म.प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के,भर पूर जनसंख्या के,पक्के मकानोंके गावों मे 45000 से अधिक। अब इन्हें जल समाधि देने की साजिश बेरहम अन्याय है। घाटी की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, नर्मदा माता भी भयावह संकट में पडी है। गुजरात में कच्छ-सौराष्ट्र के सूखाग्रस्तों को धोखा देकर कोकाकोला, अम्बानी, अडाणी की ओर पानी बहाना शुरु हो चुका है। 30 सालों मे केवल ३५-४०% ही नहरे बनने से अधूराही छोडा गया है; गुजरात के किसानों को भी वंचित रख कर बांध आगे बढाया जा रहा है । घाटी के विनाश के साथ, गुजरात भी भुगत रहा है कई भयावह असर। कोकाकोला को 30 लाख लिटर्स प्रतिदिन, मोटरकार फॅक्टरीज को 60 लाख लिटर्स/दिन पानी देने के अनुबंधो के बाद इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के क्षेत्र को ही, 4 लाख हेक्टर्स तक जमीन और अधिकांश पानी दिया जा रहा है। हजारो गावों के बदले, सूखाग्रस्त कच्छ और अन्य जिलों के गावों को पीने का पानी भी न्यूनतम देकर, फसाया जा रहा है। गांधीनगर, अहमदाबाद और वडोदरा शहरो को ही अधिक पानी दिया जाना मूल योजना में अन्यायपूर्ण परिवर्तन है।....सबसे गंभीर बात यह भी है कि बांध की लागत मूल 4200 करोड रु. से 90000 करोड रु.तक बढने की घोषणा अधिकृत रुपसे हो चुकी है। लेकिन नहरें 30-40% तक ही बनायी इसलिए उपलब्ध पानी भी सिंचाई या कच्छ-सौराष्ट्र के लिए उपयोगमें नहीं लाया जा रहा है। फिर भी बांध जल्द बाजी, राजनीतिक उद्देश्य से आगे धकेला गया है।

महाराष्ट्र, म.प्रदेश को पूंजी निवेश हजारो करोड रु.का होते हुए भी, उनके हक की केवल बिजली भी गुजरात नहीं दे रहा है। गुजरात ने पॉवर हाऊस बंद रखनेसे हुए नुकसान की भरपाई मांगी है लेकिन म.प्र.की 3600 करोड होकर भी वह चुप है। म.प्र., महाराष्ट्र को इतनी संपदा डूबोकर, लाखो विस्थापित हो कर भी सरदार सरोवर जलाशय के एक बूंद पानी पर अधिकार नहीं है।

इस स्थिति में कम से कम विस्थापितों का संपूर्ण पुनर्वास होने तक बांध को रोकना, पिछली सरकार

और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आश्वासन लिया था, उसके अनुसार जरुरी है। वह भी मोदी सरकार ने तोड मरोड दिया और बांध का कार्य बढाकर, 122 मी.से 139 मी.तक पहुचाया। पुनर्वास मे म.प्र.हायकोर्ट नियुक्त झा आयोगसे मध्य प्रदेश के पुनर्वास में भ्रष्टाचार की 7 साल चली जॉच की रिपोर्ट भी खुला नही की न कोर्टको करने दी। इस रिपोर्ट से यह उजागर होना है कि कितने हजार परिवारोंको जमीन के बदले फर्जी रजिस्ट्री के कागजात मिले....और कितने हजार परिवारों को न आजीविका मिली...पुनर्वास स्थल पर कितने करोड रु.व्यर्थ गये तो क्या वहा रहने लायक स्थिति है? रिपोर्ट आजतक सुप्रीम कोर्टने केवल म.प्र.शासन के ही हाथ सौंपा है। ऐसी स्थिति में आने वाली बारिश कितनी डूब, वंचना, हा:हाकार लाएगी यह चित्र सामने आ सकता है। 122 मी.पर प्रभावित म.प्र.के १७७ गावों मे ही हजारो परिवार हैं....2013 में भी म.प्र.के मैदानी गावों मे,कई मुहल्लों मे, घर, खेती डूब चूकी है, वह भी क्षेत्रमे बाढ न आते हुए भी। बॅकवॉटर लेव्हल्स, 30 सालों के बाद बदलकर 16000 परिवारों को डूबसे बाहर निकालने का खेल खेला है म.प्र.शासन ने। सहीं मे यह तो संख्या कम दिखाने की साजिश रही है और कोर्ट में भी शासन पुनर्वासमें "0" बॅलन्स बताती है।

यह सब चूपचाप सहन नहीं कर सकते लोग। अपने हक पाने तक बांधके गेट्स न लगने देने का संकल्प लेकर डूबसे टकराने के निश्चय के साथ, शुरु होगा, नर्मदा जल जमीन हक सत्याग्रह। 30 जुलाई, राजघाट:जिला-बडवानी, म.प्र.में, शुरुआत के रोज आप जरुर पधारे।

बडवानी जिलेंमे, म.प्र, में नर्मदा किनारे महात्माजी कस्तुरबाकी समाधि के साथ 'राजघाट' है । जहा नर्मदा और देवदेवताओं के मंदिर,मस्जिद है...पर डूबनेवाले है..डूब भी चुके है। सत्याग्रह के द्वारा हम निश्चयसे एकेक कदम आगे बढते आये हैं...इस बार भी हमारा कहना है -

- सरदार सरोवर बांधके गेट्स बंद न किये जाए !
- किसी भी विस्थापित की सम्पति बिना पुनर्वास न डूबाई जाए ।
- 2013 के नये भू अर्जन कानून के तहत, विस्थापितों की सम्पत्ति पर उनका मालिकी हक मंजूर किया जाए ।
- म.प्र., महाराष्ट्र, गुजरात की सही जानकारी देकर शपथपत्र दाखिल करे हर सरकार। जिनका पुनर्वास बाकी है, उन हजारों का पुनर्वास कानूनन जमीन, पुनर्वास स्थलोंपर पूरी सुविधाए आजीविका के साथ पूरा करे।
- न्या.झा आयोग की म.प्र. मॅे पूनर्वास मॅे 1000-1500 करोड रु.के भ्रष्टाचारपर रिपोर्ट और उसपर कार्यवाही का अहवाल सार्वजनिक करे।
- सरदार सरोवर के पर्यावरणीय असर जैसे बांध के नीचेवास मे लाभों का बंटवारा व लाभहानि पर मूल्यांकन किया जाए ।
- गुजरात में बांध का लाभ किसानों, आदिवासियों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को ही दिया जाए, लाभक्षेत्र की जमीन उद्योगपतियों को न दी जाए।

इन तमाम मुद्दों के साथ जुडा है 'नर्मदा' का अस्तित्व। नर्मदासे क्षिप्रा, गंभीर, महही, कालीसिंध नदीयों मे 5000 सें 15000 लिटर्स प्रतिसेकंड पानी उठाकर डालने की म.प्र.शासन की लिंक योजनाए, नर्मदा का पानी प्रदूषित करेगी ही किन्तु नर्मदा का अस्तित्वही खतरेंमे डाल देगी, यह निश्चित! इन योजनाओं द्वारा कार्पोरेट्स का ही हित देखा जा रहा है।

खेती, सिंचाई, सूखाग्रस्त क्षेत्र, गाववासी, आदिवासीयों को भी न बख्शते हुए 25 हजार हेक्टर्स जमीन के साथ नर्मदा का पानी भी उद्योगपतियों को 'उपलब्ध' बताकर लालची न्यौता दिया जा रहा है। 13 से 15 जुलाई तक नर्मदा घाटी में, बडवानी से नर्मदा घाटी में निकली नर्मदा परिक्रमा।

यह वाहन यात्रा गाव-शहरों से गुजरेगी...19 से 22 जुलाई तक का कार्यक्रम भी जल्दी ही जाहीर होगा ।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क :

विमलभाई (दिल्ली) - 9718479517, शबनम (दिल्ली)- 9971058735, राहुल यादव - 9979617513

पेंच बांध : आदिवासियों के 30 गाँव पानी में डूबोने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 से कसा शिकंजा; गांवों में पुलिस बल तैनात

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 8 जुलाई 2016 को किसान संघर्ष समिति द्वारा लगातार बारिश के बीच बारहबिरहारी ग्राम का भ्रमण किया गया। आज बिजली विभाग द्वारा गांव की लाईट काट दी गई, ट्रासंफारमर निकाल दिया गया, गांव में घोर अँधेरा है। लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ है, मुआवजे की राशी नहीं दी गई है, कुआं नलकूप पाईप लाईन का मुआवजा भी नहीं दिया है, आदिवासीयों को जमीन के बदले जमीन नहीं दी गयी है । पुर्नवास स्थल पर पानी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है विस्थापित परिवारों को जल समाधी लेंने पर मजबूर किया जा रहा है। कभी भी गाँव डूब सकते है, गांवों में पुलिस कार्यवाही (ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए) के लिए पुलिस बल तैनात है। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है.

अब तक प्रभावित गांवों के लोगों ने विस्थापन स्थल पर रहना शुरू नहीं किया है। पानी भराव के बाद जब ये गांव डूब में आ जाएंगे, तब तनाव बढऩा शुरू हो जाएगा। यह प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक जीके पाठक ने कलेक्टर जेके जैन को 3 जून को भेजा। इसके बाद कलेक्टर ने तहसील छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा और चौरई के अंतर्गत आनेवाले गांवों में 4 जून से धारा 144 लागू कर दी है।

इन गांवों में ग्राम देवर्धा, बिल्वा,जम्होड़ी पंडा, खैरीलड्डू, ककई, काराघाट, नेर, जमुनिया, नगझिर, राजाखोह, चन्हियाकला, जटलापुर, भुतेरा, हिवरखेडी, मडवाढाना, मोहगांव, केवलारी, मोआर, देवरीकला, कलकोटी, सिहोरा, बाम्हनवाड़ा, धनोरा, बारहबरियारी, भूला, करबे पिपरिया, माचागोरा, महेन्द्रवाड़ा, खकराचौरई और बान्द्रा ढाना शामिल है। इस आदेश के बाद प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र/शस्त्र जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा, पत्थर आदि का प्रदर्शन व उपयोग नहीं कर सकेगा एवं न ही घातक हथियार को अपने आधिपत्य में रख सकेगा।

ज्ञात रहे कि छिंडवाड़ा जिले में पेंच नदी पर 41 मीटर का बड़ा बांध केन्द्रीय मंत्री कमलनाथ जी के चुनाव क्षेत्र में राज्य और केन्द्र शासन मिलकर बिना मंजूरी के बना रहे हैं। इसके खिलाफ संघर्ष सीमा पार पहुंचा है। इस परियोजना के क्षेत्र के 31 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, लगभग 5600 हेक्टेयर भूमि जो कि किसानों की है इसमें से अधिकांश किसानों की भूमिअर्जन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। बांध को 1984 में पर्यावरण विभाग था मंत्रालय नहीं था उस समय दी गई एक सादे कागज की मंजूरी थी अब आवेदन पत्र श्री मुदगल पर्यावरण एवं वनविभाग से केन्द्रीय जल आयोग को एवं पर्यावरण निर्धारण कमेटी को अनापत्ति जताने वाला फैसला उपलब्ध है जो कि 21 अप्रैल 1984 को आया था। उक्त एक पन्ने की मंजूरी अब निरस्त मानी गई है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बांध निर्माण के लिए कानूनन मंजूरी लेना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए नर्मद बचाओ आंदोलन की नेत्री एवं जनआंदोलनों के राष्ट्रीय समनवय की सदस्य सुश्री मेधा पाटकर ने सत्याग्रह स्थल से कहा कि पर्यावरण सुरक्षा कानून 1996 और वन सुरक्षा कानून 1980 से मंजूरी नहीं ली गई। इस आशय की जानकारी स्वयं श्रीमती जयंति नटराजन केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने हमारे समक्ष दी है। वन भूमि के लिए भी मंजूरी नहीं ली गई यह जानकारी है। 1984 के बाद दिया गया किसानों को मात्र 30 से 40 हजार रुपये का मुआवजा केवल धोखाधड़ी थी और आंदोलन के चलते मुआवजा का पैकेज 1 लाख रुपये प्रति एकड़ का घोषित हुआ पर 90 प्रतिशत से अधिक किसानों ने विस्थापन को स्वीकार नहीं किया।

राजस्थान

नवलगढ़ के किसानों का बांगड़-बिडला के सीमेंट प्लांटों के खिलाफ 2140 दिनों से धरना जारी; 28 अगस्त को तहसील भवन पर प्रदर्शन

28 अगस्त 2016 को नवलगढ़ तहसील भवन पर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान प्रदर्शन करेंगे जिसमें राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से किसान-मजदूर संगठनों एवं नागरिक अधिकार संगठनों के प्रतिनिधी भागीदारी करेंगे। प्रदर्शन के दौरान सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए नवलगढ़ के 18 गांवों में जबरन भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी इस प्रदर्शन में गोठडा, बसावा, देवगांव, खिरोड़ख भोजनगर, तुर्काणी जोहड़ी, बेरी आदि प्रभावित गांवों के किसान भाग लेंगे. दीप सिंह शेखावत की टिप्पणी;

नवलगढ़ के गोठडा गांव में श्री सीमेंट कम्पनी का प्लांट लगना प्रस्तावित है और प्लांट के लगने की सरकार व सेठों ने मिलकर पूरी कागजी कार्यवाही भी पूरी कर ली है लेकिन किसानों से न कोई सहमति ली गई और न पूछा गया। 25 जून 2016 को सभी प्रभावित किसानों को न्यायालय झुंझुनूं से नोटिस भेजे गए हैं। बताया गया है फलां तारीख को कोर्ट में हाजिर होना है । अगर नहीं आये तो एकतरफा फैसला कर दिया जाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि आज तक किसानों से कुछ पूछे बिना ही सब कुछ कर लिया। जब-जब जनसुनवाई की बैठक हुई सबने अधिग्रहण का पुरजोर विरोध किया, तो जन सुनवाई भी क्यों करवाते हैं। अब बात समझ में आ रही है कि कागजों का पेट भरा जा रहा है। जब किसी की जायज बात भी सुनने वाला नहीं हो इसे कहते हैं जंगल राज.... । नवलगढ तहसील कि पांच ग्राम पंचायतें जिनमें गोठडा, बसावा, पुजारी की ढाणी, मोहनवाडी, खिरोड का ईलाका सीमेंट कम्पनियों के लिए किये जा रहे अधिग्रहण से प्रभावित है। तथा सीकर जिले की बेरी व कोलीडा का ईलाका सिंमेट कम्पनियों के लिए रेल्वे लाईन से प्रभावित है, जो कुल मिलाकर 70 हजार बीघा जमीन है। गोठड़ा गांव के पास श्री सीमेंट कम्पनी का प्लांट लगना है इसके लिए सरकारी तौर पर व कम्पनियों की तरफ से कार्रवाई पूरी हो चुकी है।

प्लांट के लिए 1280 बीघा जमीन की जरूरत है अभी तक कम्पनी को 300 बीघा जमीन मिली है अगर ये प्लांट लग गया तो सभी कम्पनी लगना व खनन होना निश्चित है जो हमारे ईलाके के आसपास के गांवों को भी जल विहीन व पर्यावरण को दूषित कर देगा। इसी बात को लेकर पिछले छह साल से किसान धरने पर बैठे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच से ही कुछ लोगों को कम्पनी वालों ने लालच देकर अपनी तरफ मिलाने की भरपूर कोशिश की है जिसमें वो कुछ सफल भी हुऐ हैं। सोचने वाली बात यह है कि इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। ये लोग किसानों को ज्यादा कीमत दिलाने की बात कहकर बहका रहे हैं हालांकि लोग इनका कहना नहीं मान रहे हैं लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि जमीन बिके। हम लोग पुरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ईलाका बर्बाद न हो तथा आने वाले दिनों में अगर कम्पनियां लग गई तो पानी पीने को भी नहीं मिलेगा व पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। ये बात आप सभी भलीभांति जानते हैं लेकिन इतना समय गुजरने के बावजूद युवाओं में कोई खास हलचल नहीं है। कभी-कभी मन में आशंका उठती है कि कहीं हमारे युवा यह तो नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग कम्पनियों को रोककर गलत कर रहे हैं? दुसरी बात ये भी हो सकती है कि युवाओं में संगठन शक्ति नहीं है ये ऐसी कोई सोच नहीं है? या युवाओं में नेतृत्व करने वाले ही नहीं है?

नीम का थाना में 250 घरों को गिराना अवैध : पीयूसीएल जाँच दल की रिपोर्ट

आज पीयूसीएल के महासचिव अन्नंत भट्नागर के नेतृत्व में व अन्य संगठन के प्रतिनिधियो ने हाल ही में नीम का थाना शहर (सीकर जिला) में 250 से भी ज्यादा मकानों को अवैध रूप से तोड़े जाने के बारे में जाचं करने नीम का थाना पहुचे !

ज्ञात हो की 5 जून 2016 से इस माह में कई बार उपुर्यक्त कस्बे में नीम का थाना नगर पालिका द्वारा स्थानीय प्रसाशन के छत्रछाया में क्रूरतापुर्वक कारवाही की गयी ! जाँच दल ने पाया कि नीम का थाना शहर के बीच में से निकले जाने वाले बायपास, नीम का थाना मास्टर प्लान 2013 - 31 के अनुरूप नही है ! यह इसलिए किया जा रहा जिससे पत्थर, रोड़ी, बजरी से भरे ट्रक बीच शहर से निकल सके। एक दिन में लगभग 600 से 1000 ट्रक एक एक गांव से नीम का थाना कस्बा से गुज़रेंगी। ट्रकों के आवक व जावक के निर्णय से स्थानीय लोग बुरी तरह परेशान हैं।

प्रसाशन ने 5 जून 2016, रविवार को तोड़फोड़ व तांडव मचाया ! उसका सार्वजनिक नोटिस 6 जून 2016 को जारी किया व स्थानीय अखबारों में 7 जून 2016 को प्रकाशित हुआ !

जाचं दल ने ये भी पाया की ये दमनकारी जनविरोधी तोड़फोड़ का निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर हुआ और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही तत्कालीन जिलाधिकारी लक्ष्मीनारायण सोनी के दौरा निर्देशित किया गया ! 13 जून 2016 को जब उपर्युक्त दल के कुछ सदस्य स्थानीय लोगो के साथ मुख्य सचिव से मिले तब मुख्य सचिव ने इस घटना से अपनी अनभिज्ञता जतायी !

जाँच दल द्वारा मांग राखी गयी की 5 जून 2016 से पहले की स्थिति कस्बे में स्थापित की जाये ! जो भोतिक नुकसान इस पूरी कार्यवाही में हुआ उसका पर्याप्त मुआवजा तत्काल पीड़ित लोगो को दिया जाये ! बेदखल हुए परिवारों को शौच जाने की भी कोई व्यवस्था वहां विध्वंसात्मक नही है ! नजदीकी सुलभ शौचालय अपनी सुविधाओं के लिए दुगने तिगुने दाम वसूल रहे है।

पुलिस के सानिध्य में हुई इस विध्वान्समक दमन में कई महिलाओ के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने दुरव्यवहार किया व अश्लील भद्दी गालियां दीं ! इन सरकारी कर्मचारियो के खिलाफ़ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर, न्यायिक जाच की मांग जाचं दल करता है ! इस वक्त बेघर हुए परिवारों को वर्षा के मौसम व साथ ही तेज धूप को देखते हुए, वैकल्पिक आश्रय का तुरन्त इन्तेजाम करने की मांग यह जाचं दल करता है।

इस दल में पीयूसीएल के राज्य महा सचिव अनन्त भट्नागर राज्य उपाध्यक्ष श्री सवाई सिंह, जयपुर जिला महा सचिव कपिल सिंह सांखला, भारतीय महिला फेडरेशन की राजस्थान महा सचिव निशा सिन्धु, पीयूसीएल सदस्य शिवा देवी, अनिल गोस्वामी, राजेंद्र कुम्बज, श्री अजय सिंघल, शाहनवाज़ अहमद, व सामाजिक कार्यकर्ता श्री बसंत हरियाना, श्री जय सिंह राजोरिया ने भाग लिया !

पीयूसीएल के स्थानीय कार्यकर्ता कैलाश मीणा ने जांच का स्थानीय स्तर पर समन्वय किया। दल को कोई भी अधिकारी से नहीं मिल सका क्यूंकि कोई भी उपस्थित नहीं था।

उल्लखेनीय है की 26 जून 2016 को पीयूसीएल के 40 वर्ष पुरे होने पर नागरिक दमन की पराकाष्ठा व मानव अधिकार के हनन की यह जांच विशेष रूप से आयोजित की गई !

भवदीय

अनन्त भटनागर , सवाई सिंह, कपिल सांखला,
(सभी PUCL) निशा सिधु (NFIW)

राजस्थान के आदिवासियों ने किया दावा : जंगल हमारे हक हमारा

राजस्थान के जयपुर में एक जून से शहीद स्मारक पर 'जवाब दो' धरना जारी है. धरने में विभिन्न मुद्दों पर जन सुनवाईयां आयोजित कर सरकार से जवाबदेही की मांग की जा रही है. इसी कड़ी में 11 जून 2016 को आदिवासी एवं वन अधिकार के मुद्दों पर एक जनसुनवाई हुई.

राज्य में व्यक्तिगत वन अधिकार के अधिकार पत्रों में ज़मीन लोगों के किये गए दावों के अनुरूप दी जाये. जहाँ अधिकार पत्र दिए गए हैं वहां नरेगा सहित अन्य सरकारी योजनाओं के तहत भूमि सुधार और भूमि विकास के कार्य किये जायें. जो दावे निरस्त किये गए उन्हें निरस्त करने के कारणों की स्पष्ट सूचना दी जाये. साथ ही जिन जिलों में अभी तक वन अधिकार की प्रक्रिया ही शुरू ही नहीं की गयी है जैसे टोंक, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, दौसा, आदि वहां इसे शुरू किया जाये. वन अधिकार मान्यता कानून के तहत जिन दावेदारों के दावे अभी प्रक्रिया में हैं उन्हें प्रक्रिया ख़त्म होने से पहले बेदखल न किया जाये. यह मांगें आज आदिवासी अधिकारों पर हुई जनसुनवाई में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व राजस्थान से आये आदिवासी समुदाय के लोगों ने की.

जल जंगल जमीन आन्दोलन के आर डी व्यास ने कहा कि प्रदेश में हजारों व्यक्तिगत दावे बिना कारण बताये वन विभाग की अनावश्यक दखल और वन्य जीव अभ्यारण्य का हवाला देकर निरस्त किये गए हैं, जो गैर कानूनी है. जो व्यक्तिगत दावे मिले भी हैं उनमें भी दावे के अनुरूप काफी कम ज़मीन के अधिकारों को मान्य किया गया है. सामुदायिक दावों की प्रक्रिया को तो शुरू भी नहीं किया गया है. आदिवासियों की कृषि भूमि को गैर आदिवासियों द्वारा नियमों का दुरुपयोग कर हडपा जा रहा है. आदिवासियों की ज़मीनें खनन के लिए आवंटित करने पर पिछली सरकार द्वारा लगाई रोक जो इस सरकार ने हटा ली है जिससे आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है. इस जनसुनवाई में हेल्प एज इंडिया के मुख्य कार्यकारी मैथ्यू चेरियन ने भी धरने में पहुंचकर अपना समर्थन दिया.

पेसा कानून लागू करे सरकार

जनसुनवाई में आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना था कि कहने को तो पेसा कानून में ग्राम सभा को गाँव में ही निर्णय लेने की शक्तियां दी गयी हैं लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार इस कानून को पूरी ईमानदारी से लागू नहीं कर रही है. बड़े दुःख की बात है कि एक अच्छे और महत्त्वपूर्ण कानून का राजस्थान में सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. हमारी मांग है कि सरकार राज्य में पेसा कानून के तहत जो अधिकार आदिवासियों को दिए गए हैं उन्हें उनका वह हक दे.

कब मिलेगा हमारे दावों का अधिकार

राज्य में हजारों की संख्या में गैर-आदिवासी वनों पर आश्रित हैं. उन्होंने दावे भी पेश किये हुए हैं लेकिन अभी तक भी सभी दावेदारों को सरकार ने अधिकार पत्र नहीं दिए हैं. राज्य में अब तक 34848 अधिकार पत्र जारी किये गए हैं लेकिन इनमें एक भी अधिकार-पत्र किसी गैर-आदिवासी को नहीं दिया गया है. उदयपुर जिले की खैरवाडा तहसील के 82 दावे विगत तीन सालों से लंबित पड़े हैं जबकि वल्लभनगर तहसील के 568 दावों को उपखंड स्तरीय समिति ने निरस्त कर दिया. कोटड़ा में 4800 दावे प्रस्तुत किये जिनमें से 1456 दावे ही स्वीकृत किये गए और अन्य दावों के बारे में कोई भी सूचना दावेदारों को नहीं दी गयी है. इसी तरह टोंक जिले की देवली तहसील के देवड़ावास व कनवाडा पंचायतों में कुल 76 दावे प्रस्तुत किये गए पिछले तीन साल से ये दावे लंबित पड़े हैं.

वन अधिकार और पेसा के मुद्दे पर सरकार से हुई चर्चा

आदिवासी मुद्दों पर सरकार के साथ चर्चा करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त सचिव जनजाति विकास विभाग श्री एस पी जैमन से मिला. इस संवाद

में वन विभाग के संयुक्त श्री एस आर मीणा और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ओ पी सिंह भी मौजूद थे.

चर्चा में निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी -

- प्रत्येक दावे की प्रगति जांचनें के लिए एक एमआईएस बनाने पर सहमति बनी और हमें सरकार की तरफ से आश्वस्त किया कि 20 जुन 2016 तक इसका प्रारूप बना लिया जाएगा और इस बारे में हमारी राय भी ली जाएगी।
- निरस्त दावों की सूचना निरस्ती के कारण सहित प्रतयेक दावेदार को लिखित में उपलब्ध करवाई जाएगी एवं उसे वेबसाईट पर भी डाली जाएगी।
- वास्तविक कब्जे से कम भूमि वाले अधिकार पत्र प्राप्त दावेदारों को उनकी बकाया भूमि का अधिकार मान्य करने के लिए उनसे दुबारा दावे पेष करवाने का अभियान चलाएगी।
- भौतिक सत्यापन करने में वन विभाग और राजस्व विभाग वन अधिकार समितियों को सहयोग करे इसके लिए उन्हें निर्देशित किया जाएगा।
- बेदखली नहीं हो इसके लिए वन विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों को वन विभाग की ओर से एक आदेश दिया जाएगा।

क्लोजर में आए दावेदारों को बेदखल नहीं किया जाएगा।

विकास के नाम पर विस्थापन कब तक : अवैध खनन और विस्थापन के प्रभावों पर जनसुनवाई

जयपुर, 16 जून, नवलगढ़ में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्रियां, अलवर में DRDO की परियोजना, किशनगढ़ के गाँवों में एअरपोर्ट कार्गो हब बनाने, नीम का थाना में महवा-भराला में गैर कानूनी तौर पर जबरन किये जा रहे भूमि अधिग्रहण को राजस्थान/केंद्रीय सरकार तुरंत रद्द करे. नीम का थाना में जबरन और पूर्ण गैर कानूनी तरीके से शहर में सड़क चौड़ी करने के नाम पर हुई कार्यवाही में लोगों के घर तोड़े गए, महिलाओं के साथ मार-पीट और बदतमीजी की गयी. प्रशासन की इस पूरी तरह गैर ज़िम्मेदाराना हरकत के खिलाफ सरकार तुरंत कार्यवाही करे. जिन लोगों के घर तोड़े गए उन्हें तुरंत मुआवज़ा दिया जाये और शासन द्वारा गैर-कानूनी कब्ज़ा रद्द किया जाये. कोटपूतली और नीम का थाना में चल रहे गैर-कानूनी खनन को तुरंत रोका जाये. खनन माफिया के द्वारा प्रदीप शर्मा की हत्या, दयाराम शर्मा और मालीराम सैनी की प्रशासनिक हत्या के खिलाफ तुरंत कार्यवाही हो. शहीद स्मारक पर दिए जा रहे 'जवाब दो' धरने में पिछले दो दिनों में अवैध खनन और विस्थापन सम्बन्धी मुद्दों पर हुई जनसुनवाई में ये मांगें प्रदेश भर से आये विस्थापन और अवैध खनन प्रभावित लोगों ने उठाई.

- जनसुनवाई में नवलगढ़ किसान संघर्ष समिति, शुक्लाबास खनन विरोधी आन्दोलन, उदयपुर वाटी, रामकुमारपुरा (खेतड़ी) अदि इलाकों से खनन प्रभावित साथियों ने हिस्सा लिया. लोगों का कहना था कि विकास के नाम पर राज्य सरकार जबरन गरीबों की जमीनें हथियाने में लगी है. न गरीब के झोपड़ों को छोड़ रही है और न ही किसी रसूखदार की हवेली को. यह सब सरकार कॉरपोरेट समूहों के दबाव में कर रही है.
- जनसुनवाई में पेनालिस्ट के रूप में गुजरात से भूमि अधिकारों पर काम करने वाले सागर रेबारी,

देश के प्रख्यात बुद्धिजीवी शिव विश्वनाथन, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, जस्टिस पानाचंद जैन, समग्र सेवा संघ के सवाई सिंह, खनन मुद्दों से जुड़े कैलाश मीणा, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के मधुरेश, नवलगढ़ संघर्ष समिति के कप्तान दीप सिंह, NFIW की निशा सिद्धू आदि मौजूद थे.

- सागर रेबारी ने कहा कि लोकतान्त्रिक हकों की घटती जगह के लिए अंधाधुंध विकास की विचारधारा ज़िम्मेदार है. उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया कि विकास और रोज़गार के नाम पर लोगों से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं और उन्हें उनके परंपरागत रोजगारों से विमुख किया जा रहा है. धोलेरा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पहले पुल, फिर बंदरगाह और अब स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों से उनकी ज़मीनें छीन ली गयी हैं.
- शिव विश्वनाथन ने धरने को समर्थन देते हुए कहा कि विकास की आज जो परिकल्पना हम पर थोपी जा रही है वह कभी भी हमारे संवैधानिक लोकतंत्र का हिस्सा नहीं रही. उन्होंने कहा कि भारत में विकास की वजह से शरणार्थी बने लोगों की संख्या युद्ध-शरणार्थियों से कहीं ज्यादा है. उन्होंने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि आज देश में कोई भी अगर विकास पर कोई सवाल उठाता है तो तुरंत उसे देश-द्रोही की संज्ञा दे दी जाती है.

इससे पहले कल सूचना एवं रोज़गार अधिकार अभियान का एक प्रतिनिधि मंडल खनन विभाग के सचिव दीपक उप्रेती व अन्य अधिकारियों से मिला. इस मीटिंग में खनन, सिलिकोसिस, एवं खान श्रमिकों के मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ अहम फैसले लिए गए जो निम्नानुसार हैं–

- दो खनन-प्रभावित ब्लॉकों को चिन्हित कर प्रशासन, जन-संगठनों और खान श्रमिकों की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी. यह समिति खनन सम्बन्धी नियमों और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन, लीज़ सम्बन्धी अनियमितताओं और खान श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के प्रयास किये जायेंगे और इसे एक मॉडल के तौर पर स्थापित कर अन्य ब्लॉकों में भी इस मॉडल को अपनाया जायेगा. अधिकारीयों ने यह भी भरोसा दिलाया कि तुरंत सिलिकोसिस-ग्रस्त लोगों की जिले-वार सूचियाँ जन-संगठनों के सहयोग से बनाकर उन्हें सहायता राशि भिजवाई जाएगी.
- अधिकारियो ने यह भी कहा कि वे ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे जिससे सिलिकोसिस-प्रभावित लोगों को उनकी सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ही मिल जाये. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस राशि के वितरण सम्बन्धी सारी जानकारी एक पारदर्शी मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम के ज़रिये सार्वजनिक की जाएगी ताकि उसकी जन-निगरानी की जा सके.
- अधिकारियों ने यह भी कहा कि दो मॉडल ब्लॉकों और फिर अन्य सभी ब्लॉकों में हर ग्राम पंचायत में बोर्डों के ज़रिये उस ग्राम पंचायत में दी गयी सभी खनन लीजों की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी. साथ ही इन ग्राम पंचायतों में खदानों द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक ग्राम स्तरीय जन निगरानी समिति बनाई जाएगी जिसमें वहां के स्थानीय निवासी भी शामिल होंगे.

इसके अलावा अधिकारियों ने खान श्रमिकों के कल्याण के लिए एक बोर्ड बनाने और सिलिकोसिस से बचाव के लिए सक्शन डिवाईसेज़ और मास्क आदि का इस्तेमाल सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाये जायेंगे.

मणिपुर भवन पर प्रदर्शन करने गये आंदोलनकारियों पर बर्बर पुलिसिया दमन

7 जून को मणिपुरी ट्राइबल फोरम दिल्ली द्वारा 31 अगस्त 2015 को मणिपुर में पास किए गए तीन विवादास्पद बिलों के विरोध में मणिपुर भवन, नई दिल्ली के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस एवं मणिपुर राइफल्स द्वारा बर्बर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस तथा मणिपुर राइफल्स द्वारा किए गए इस क्रूर कृत्य पर परिवर्तनकामी छात्र संगठन का बयानः

7 जून 2016 को दिल्ली पुलिस और मणिपुर राइफल्स के जवानों द्वारा मणिपुरी आंदोलनकारियों का बर्बर दमन किया गया। इस दमन के दौरान महिलाओं समेत लगभग 10 आंदोलनकारी बुरी तरह से घायल हैं जबकि लगभग 30 आंदोलनकारियों को गिरफतार कर लिया गया। परिवर्तनकामी छात्र संगठन, दिल्ली पुलिस व मणिपुर राइफल्स द्वारा किए गए लाठीचार्ज की कठोर शब्दों में निंदा करता है। हम मांग करते हैं कि मणिपुर सरकार आंदोलनकारियों से वार्ता कर उनकी मांगों के संबंध में कदम उठाए तथा लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्यवाही करे।

दरअसल पिछले साल 31 अगस्त को मणिपुर विधानसभा में 3 बिल पास किए गए। जिसके विरोध में पूरे मणिपुर में तब से ही आंदोलन जारी है। मणिपुरी जनता का मानना है कि इन बिलों के चलते उनके अधिकारों पर बाहरी लोगों का अतिक्रमण हो जाएगा। साथ ही बाहरी लोगों को भी मणिपुर में जमीन खरीदने व बेचने का अधिकार मिल जाएगा। जिसे मणिपुरी जनता अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों पर हमला मानती है। मणिपुर सरकार द्वारा आंदोलन का जर्बदस्त दमन किया गया। जिसके चलते अब तक इसमें 8 लोग मारे जा चुके हैं। इससे पहले मणिपुरी ट्राइबल फोरम दिल्ली (MTFD) के नेतृत्व में सैकड़ों ओदोलनकारियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में 4 नवम्बर 2015 से जंतर-मंतर पर शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा था। परंतु सरकार ने उनकी मांगों के संबंध में कोई कदम नही उठाया। 7 जून को मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के नेतृत्व में एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से इन बिलों पर सहमति प्राप्त करने के दिल्ली आया हुआ था। जिसके विरोध में MTFD द्वारा मणिपुर भवन, नई दिल्ली पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। जिस पर दिल्ली पुलिस द्वारा मणिपुर राइफल्स के साथ मिलकर बर्बर लाठीचार्ज किया गया।

पिछले साल से मणिपुर में और नवंबर से दिल्ली में मणिपुरी आंदोलनकारी अपनी मांगों के संबंध में संघर्षरत हैं फिर भी मणिपुर सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही ना करना उसके दमनकारी चरित्र को उजागर करता है। वहीं इस पूरे ही आंदोलन का मीडिया द्वारा बॉयकाट किया जाना मीडिया की पक्षधरता को भी उजागर करता है। पछास सभी प्रगतिशील ताकतों का आहवान करता हैं कि मणिपुरी सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के दमन का विरोध करे और इस बर्बर दमन के विरोध में अपनी आवाज उठाए।

अरुणाचल प्रदेश

अरूणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर परियोजना का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर बर्बर पुलिसिया दमन : 2 मृत, 19 बुरी तरह से घायल और अनेकों पर हमला

अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन(एनएचपीसी) और भीलवाड़ा के द्वारा 1400 मेगा वॉट और 800 मेगा वॉट के दो हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इस ऊर्जा परियोजना को मिले अवैध मंजूरी के खिलाफ स्थानीय बौद्ध लामा लॉप्सॉन्ग ग्यातसो एक अभियान चला रहे हैं। उन्हें इसे राष्ट्रीय हरित ट्रिब्युनल (एनजीटी) में भी चुनौती दी है। एनजीटी ने परियोजना के केस को निलंबित कर दिया तथा भीलवाड़ा प्रोजेक्ट को मिली पर्यवारण मंजूरी को भी खारिज कर दिया।

सरकारी अफसरों ने इसका बदला लिया। 28 अप्रैल 2016 को जिला परिषद अध्यक्ष ने तवांग क्षेत्र के विकास के संबंध में चर्चा के लिए एक सार्वजनिक बैठक बुलाई गई। लेकिन यह बैठक एक पूर्व नियोजित साजिश थी जिसका उद्देश्य लामा लॉप्सॉन्ग ग्यातसो को अकेला कर उनपर हमला करना था। आयोजकों द्वारा लामा का एक व्हॉट्स ऐप साउंड क्लिप, जिसमें वह तवांग मॉन्सट्री के अबॉट, तुल्कु रिन्पोचे, को धार्मिक मसलों तक सीमित रहने तथा ऐसी परियोजनाओं को सहयोग न देने की बात कही थी, का इस्तेमाल कर लामा लॉबसॉन्ग पर स्थानीय जनता की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का झूठा आरोप लगाया। लामा लॉप्सॉन्ग ग्यातसो के खिलाफ दर्ज एफआईआर में उस दिन की बैठक में भाग लेने वाले तीन सौ लोगों के दस्तखत शामिल हैं।

लामा लॉबसॉन्ग के समर्थकों ने जमानत के लिए आवेदन भरा किंतु उसे किसी न किसी बहाने से लगातार टाला गया जबकि दूसरी तरफ जिला परिषद अध्यक्ष को 28 अप्रैल को ही कुछ घंटों में छोड़ दिया गया। 2 मई को 2000 लोगों ने एकत्रित होकर प्रसाशिक तथा न्यायिक कार्यवाहियों को देखते हुए लामा लॉप्सॉन्ग पर जानलेवा हमला होने की शंका जताई। जिसकी वजह से लोगों ने लामा लॉप्सांग की तत्काल रिहाई की मांग उठानी शुरु कर दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज तथा गोलीबारी की। जिसमें दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 19 बुरी तरह से घायल और बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। लामा लॉप्सॉन्ग को रिहा कर दिया गया है किंतु क्षेत्र में द्वारा 144 लागू है।

हरियाणा में खट्टर सरकार की हिटलरशाही : निजीकरण का विरोध कर रहे बिजलीकर्मियों पर एस्मा

हरियाणा सरकार ने बिजली कर्मियों की दो दिन की हड़ताल की घोषणा के बाद राज्य में छह महीने के लिए एस्मा लगा दिया है। इससे प्रदेश में किसी तरह की हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर, हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी (पॉवर) ने घोषणा की है कि एस्मा के बावजूद बिजलीकर्मियों की 29 और 30 जून को प्रस्तावित हड़ताल होकर रहेगी।

बिजली कर्मचारी संगठनों से वार्ता विफल रहने पर राज्य सरकार ने उठया कदम

राज्य सरकार ने एस्मा लगाने का कदम बिजली कर्मियों से समझौता वार्ता विफल रहने के बाद उठाया है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार सुबह आला अधिकारी बिजली कर्मचारी संगठनों के नेताओं से बातचीत हुई, लेकिन इसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका। बृहस्पतिवार को हड़ताल पर अड़े बिजली कर्मचारियों के साथ प्रबंध निदेशकों की तीन अलग-अलग समझौता वार्ताएं फेल हो गई थी। शुक्रवार को भी कर्मचारी नेताओं के साथ वार्ता हुई, लेकिन यह भी विफल रही।

बिजली निगमों के प्रबंध निदेशकों ने हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी (पावर) के नेताओं से 29 व 30 जून की हड़ताल वापस लेने का आग्रह तो किया, लेकिन 23 सब डिविजन को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर सरकार ने पुनर्विचार किए जाने का कोई भरोसा नहीं दिलाया। ऐसे में समझौता वार्ताएं सिरे नहीं चढ़ पाई।

हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेता देवेंद्र सिंह हुड्डा, कंवर सिंह यादव और सुभाष लांबा का कहना है कि बिजली महकमा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। उनके प्रतिनिधि के तौर पर बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजन गुप्ता को 29 व 30 जून की हड़ताल का नोटिस दिया गया था, लेकिन न तो गुप्ता ने बातचीत की पहल की और न ही मुख्यमंत्री ने हड़ताल खत्म कराने में रुचि दिखाई। वहीं जिन प्रबंध निदेशकों ने बातचीत की, उन्हें नीतिगत मुद्दों पर फैसले लेने का कोई अधिकार ही नहीं था।

पहले हो गई थी एस्मा लगाने की तैयारी

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लगाने की तैयारी कर ली थी। एस्मा लगाए जाने के बाद कोई कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकता। बिजली निगम की ओर से इस संबंध में पहले ही प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया था। हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी (पावर) के प्रतिनिधिमंडल की बृहस्पतिवार को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक नितिन यादव, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अरुण वर्मा और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक रामाराव के साथ अलग-अलग बैठकें हुई। प्रतिनिधिमंडल में एक्शन कमेटी की ओर से देवेंद्र हुड्डा, कंवर सिंह यादव, सुभाष लांबा, नरेश कुमार, बाल कुमार, वेद प्रकाश शर्मा, एनपी सिंह चौहान, आजाद पूनिया और रामपाल मलिक शामिल हुए।

196 ठेका कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

बिजली निगमों के प्रबंध निदेशकों की बातचीत के चलते-चलते हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने 196 ठेका कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 127 ठेका कर्मचारियों को पहले ही हटाया जा चुका है। 10 हजार ठेका कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल नहीं होने के नोटिस दिए गए हैं। जिन 7471 ठेका कर्मचारियों को हटाया गया था, उस आदेश के अनुपालन पर सर्व कर्मचारी संघ के विरोध के बाद रोक लग गई थी। वहीं अब भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि यदि वे हड़ताल में शामिल हुए तो बिना कारण बताए हटा दिए जाएंगे। बिजली विभाग में 30 हजार कर्मचारी हैं, जिनमें कच्चे कर्मचारियों की संख्या 12 हजार है।

ओडिशा

कितनी भी यातनाएं दे ले पुलिस हम अपना नियामगिरी पर्वत नहीं छोड़ेंगे : डोंगरिया कोंध

ओड़ीशा के नियमगिरि पर्वत पर नियमगिरि सुरक्षा समिति के तत्वाधान में सात दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया गया। 29 मई से 5 जून 2016 तक चली इस पदयात्रा में आस-पास के सैकड़ों गांवों के डोंगरिया कोंध आदिवासियों ने भाग लिया। पदयात्रा में मौजूदा विकास की अवधारणा तथा उससे प्रभावित हो रहे डोंगरिया कोंध आदिवासियों तथा समुदाय के लोगों पर किया जा रहा पुलिसिया दमन के संदर्भ में बात-चीत की गई। पदयात्रा के अंतिम दिन 5 जून 2016 को लांजीगढ़ में वेदांता रिफाइनरी और पुलिसिया दमन के खिलाफ एक विशाल जन समावेश का आयोजन किया। ओड़ीशा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले के नियमगिरि के विभिन्न गांवों से आए हजारों डोंगरिया कोंध आदिवासियों की उपस्थिति में प्रफुल्ला समन्तरे, मेधा पाटकर, संजय पारीख, अशोक चौधरी, लिंगराज आज़ाद, सत्या महार आदि ने भी अपनी बाते रखी; नियामगिरी सुरक्षा समावेश के नाम से आयोजित इस क्रार्यक्रम के तहत लांजीगढ़ के एक जंगल में एकत्रित डोंगरिया जनजाति के लोगों ने, जिनमें से ज्यादातर युवा थे, बॉक्साइट से भरपूर नियामगिरी पर्वत को वेदांता कंपनी को बेचने की साजिश के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई। डोंगरिया कोंध जनजाति ने लगातार नाचते गाते हुए एक अनोखे तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित किया।

सरकार द्वारा नियामगिरी पर्वत को वेंदाता कंपनी को बेच देने की साजिश रची जा रही है और इसका विरोध करने पर पुलिस हमें तरह-तरह से यातनाएं दे रही है। हमें माओवादियों के नाम पर और फर्जी मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। किंतु हम अपना आंदोलन इसके बावजूद जारी रखेंगे।

संघर्ष संवाद देश में चल रहे आन्दोलनों की सूचनाएं, उनके लिए उपयोगी जानकारी एवं विश्लेषण मुहैया कराने वाली एक लोकप्रिय पत्रिका साबित हुई है। इसके वेब-संस्करण (sangharshsamvad.org) की भी शुरूआत की गयी है जिसमें आप सबका स्वागत है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने या अपने इलाके में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से साझा करें ताकि दूसरे आन्दोलनों के साथियों को भी आपके आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे। एक दूसरे के संघर्षों से सीखना और संवाद कायम करना आज के दौर में जनांदोलनों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है।

आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी sangharshsamvad@gmail.com पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

संघर्ष संवाद

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

फोन/फैक्सः 011-26968121/26858940

ईमेलः sangharshsamvad@gmail.com

www.sangharshsamvad.org